परिपत्र

क्रमांक	परिपत्र का विषय	परिपत्र संख्या एवं दिनांक
1	2	3
1	न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति बाबत्।	पत्र क्रमांक/आई.डी.सी./2017/3944–3945 दिनांक 28.07.2017
2	PAN प्राप्त करने एवं तदुपरांत GST में पंजीयन हेतु प्रक्रिया बाबत्।	पत्र क्रमांक/वनिस/निर्वर्तन/2017/4058–4059 दिनांक 09.08.2017
3	वनोपज के विक्रय पर वस्तु एवं सेवा कर(GST) वसूल किये जाने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/जी.एस.टी./4150 दिनांक 21.08.2017
4	PAN प्राप्त करने के बाद जी.एस.टी. नम्बर प्राप्त करने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./4182–4183 दिनांक 24.08.2017
5	जी.एस.टी. नंबर प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित/फाईनल बिल जारी करने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/वनिस/निर्वर्तन/2017/4198–4199 दिनांक 26.08.2017
6	वन विभाग के GST अंतर्गत पंजीयन होने तक के समयकाल को भुगतान एवं माल उठाने हेतु शून्य घोषित करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/जी.एस.टी./4235–4236 दिनांक 29.08.2017
7	वन विभाग में ईमारती काष्ठ के विक्रय के लिये ई. ऑक्शन लागू करने की प्रक्रिया बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./4357–4358 दिनांक 07.09.2017
8	जी.एस.टी. नंबर प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित/फाईनल बिल जारी करने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/वनिस/निर्वर्तन/2017/4439–4440 दिनांक 13.09.2017
9	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मालिक मकबूजा लकड़ी/लोक वानिकी क्रय के लिये बजट आबंटन करने हेतु संशोधित प्रारूप में प्रमाण पत्र देने बाबत्।	पत्र क्रमांक/बजट उत्पादन/17/264–4/5105–5106 दिनांक 21.11.2017
10	इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/790–791 दिनांक 08.03.2018

11	शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के समय उपस्थित रहने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/1116 दिनांक 28.03.2018
12	कूपों में पातन के दौनान कुल्हाड़ी एवं आरे का उपयोग करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ./55/1376– 1377 दिनांक 19.04.2018
13	मध्यप्रदेश कराधान(संशोधन) अध्यादेश, 2018।	पत्र क्रमांक/1087/1443/2018/10–3 दिनांक 31.05. 2018
14	इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/1825–1826 दिनांक 31.05.2018
15	GST Compliance	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/GST/2264 दिनांक 05.07.2018
16	वनोपज के विक्रय पर वस्तु एवं सेवा कर(जी.एस.टी.) की राशि के भुगतान के संबंध में।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/2604–2605 दिनांक 03.08.2018
17	वनोपज विक्रय के संबंध में जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/काष्ठ/2018/3479–3480 दिनांक 31. 10.2018
18	मध्यप्रदेश कराधान(संशोधन) अधिनियम, 2018।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/3784–3785 दिनांक 12.12.2018
19	वनोपज विक्रय के संबंध में जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/काष्ठ/2018/94–95 दिनांक 10. 01.2019
20	परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. कर की राशि कटोत्री बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./परि./38/भाग–3/129 दिनांक 14.01.2019
21	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के अंतर्गत क्रेता/उपभोक्ता का पंजीकरण।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/197–198 दिनांक 23.01. 2019
22	राजस्व की जानकारी बजट हेड में भेजने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./बजट/291/290–291 दिनांक 31. 01.2019
23	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के अंतर्गत क्रेता/उपभोक्ता का पंजीकरण।	पत्र क्रमांक/उत्पा./395–396 दिनांक 08.02.2019
24	राजस्व की जानकारी हेड वाइज प्रविष्टि करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./बजट/291/407–408 दिनांक 11. 02.20119
25	परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. कर की राशि कटोत्री बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./परि./38/भाग–3/641 दिनांक 01.03.2019

26	न्यायालयीन प्रकरणों की उत्पादन शाखा से संबंधित जानकारी भेजने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./सम./210/भाग–2/660 दिनांक 05.03.2019
27	वानिकी कार्यों के सम्पादन हेतु जॉब दर निर्धारण।	पत्र क्रमांक/उत्पा./145/721–722 दिनांक 08.03.2019
28	मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन/विपणन), मध्यप्रदेश भोपाल को नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाने के संबंध में।	आदेश क्रमांक/स्था./81, पृष्ठां. क्रमांक/स्था/लीगल सेल/1078 दिनाक 05.04.2019
29	व्यापारी विनिर्माता या उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त विनिर्दिष्ट वनोपज का पुर्नविक्रय करने पर क्रेता से विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क वसूल करने के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2019/1852–1853 दिनांक 17.06.2019
30	विभागीय काष्ठागारों में स्थित सोलर पैनल बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./बजट/2019/3208 दिनांक 19.07.2019
31	कूपों का विदोहन एवं हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा चिन्हांकित वृक्षों का पातन नहीं करने से निष्फल व्यय की वसूली बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/2019/3395–3396 दिनांक 31.07.2019
32	अत्यंत कम उत्पादन वाले/अलाभकारी कूपों में विदोहन कार्य के संबंध में दिशा निर्देश बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–5/192/3665 दिनांक 26.08.2019
33	घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय ठेकेदार/संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान सुविधा के व्यय का निर्धारण।	पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/4799–4800 दिनांक 27.11.2019
34	ऑनलाईन भुगतान के प्रकरणों में भुगतान की रसीद आयकर एवं जी.एस.टी संबंधी अभिलेख विलम्ब से जमा करने पर लॉट निरस्त करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2019/5019–5020 दिनांक 17.12.2019
35	मालिक मकबूजा लकड़ी/लोकवानिकी क्रय के लिये बजट आवंटन के संबंध में।	पत्र क्रमांक/उत्पा./बजट/2019/5105–5106 दिनांक 27.12.2019
36	उत्पादन कार्यो में संलग्न मजदूरों की प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/268/2019/5134–5135 दिनांक 28.12.2019

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / आई.डी.सी. / 2017 / 3944 — भोपाल, दिनांक 28/7/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय / अनुसंधान विस्तार / कार्य आयोजना वृत्त
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मंडल अधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन),
   मध्यप्रदेश

विषयः— न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति बावत।

संदर्भः— म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / 2141 / 2502 / 2008 / 10—1 दिनांक 12.06.2008

—:00:—

न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में म.प्र. शासन वन विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि उनके पत्र पृ.क्रमांक / 2142 / 2502 / 2008 / 10—1 दिनांक 12.06.2008 द्वारा समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक(शाखा प्रभारी), समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय / अनु. विस्तार / क्षेत्र संचालक, व.प्र.) एवं समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय / उत्पादन) को निर्देशों के पालनार्थ प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव संबंधित शाखा प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करेंगे। संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत एकल नस्ति पर प्रकरण पदेन सचिव, वन एवं सचिव, राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति को प्रेषित किये जायेंगे।

शासन के उक्त निर्देशों के बाद भी कई मुख्य वन संरक्षक / वन मंडल अधिकारी द्वारा सचिव, राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति को प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु सीधे पत्र लिख रहे है, जो कि शासन निर्देशों का उल्लंघन है। कृपया यह टीप करें कि प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक / वन मंडल अधिकारी) द्वारा इस कार्यालय को सीधे भेजे गये किसी भी पत्र पर इस कार्यालय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जावेगी एवं इस कारण से यदि जवाबदावा प्रस्तुत करने में विलंब होता है अथवा शासन के खिलाफ विपरीत स्थिति निर्मित होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक / वन मंडल अधिकारी) की होगी।

आपसे पुनः आग्रह है कि प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु कृपया संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्ताव भेजें। संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से एकल नस्ति पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस कार्यालय के द्वारा तत्काल प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

28/07/2017

(ए.बी. गुप्ता)
सचिव,
वनोपज के लिए अंतर्विभागीय समिति
मध्यप्रदेश, भोपाल

IDC Letters-2017

गार्ड फाईल

पृ.क्रमांक आई.डी.सी./2017/3945 भोपाल, दिनांक 28/7/2017

प्रतिलिपि

1) सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल को ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन एवं नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(शाखा प्रभारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

28/07/2017

सचिव,
वनोपज के लिए अंतर्विभागीय समिति
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रथम प्रतिवादी से संबंधित विभाग के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य शासन की संबंधित शाखा को प्रेषित किये जाए।

(4) अपील प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अपील करने बाबत् राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देश का पालन किया जाए।

(रतन पुरवार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0कमांक 2142/2502/2008/10-1 भोपाल, दिनांक 12 जून 2008

प्रतिलिपिः—

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल
2/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (शाखाप्रभारी) मध्यप्रदेश भोपाल
3/ अपर सचिव बी/पी
4/ समस्त अवर सचिव/ समस्त अनुभाग अधिकारी वन विभाग
5/ सचिव राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन अपर सचिव, वन म.प्र.भोपाल
6/ समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय/ अनुसंधान विस्तार/ क्षेत्र संचालक वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
7/ समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्यप्रदेश
8/ उप वन संरक्षक (न्यायालयीन प्रकरण) जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2141 /2502/2008/10-1 भोपाल, दिनांक 12 जून 2008

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– पदेन अपर सचिव, वन, एवं सचिव राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में जारी किये जा रहे प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति बाबत।

संदर्भः– म0प्र0 शासन वन विभाग का आदेश कमांक एफ–12/1/2001/10–1 दिनांक 24–5–01 एवं आदेश कमांक 944/2558/2002/10–1 दिनांक 24–9–2002.

––0––

संदर्भित पत्रों द्वारा राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति के सचिव एवं पदेन अपर सचिव वन को माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में वन विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के अधिकार प्रदत्त किये गये है। राज्य शासन की जानकारी मे यह तथ्य आया है कि क्षेत्रीय वन संरक्षकों तथा वन मंडल कार्यालयों से प्रभारी अधिकारी बनाने के संबंध में प्रकरण सीधे अपर सचिव वन, सचिव राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति को प्रेषित किये जा रहे है। जिनका परीक्षण संबंधित शाखा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण कई प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी बदलने की कार्यवाही करना पड़ रही है। कतिपय प्रकरणों में वन विभाग के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत न होकर संबंधित अन्य विभाग जैसे खनिज विभाग, वाणिज्य कर विभाग इत्यादि के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी संबंधित विभाग द्वारा बनाया जाना था, उन प्रकरणों में भी वन विभाग के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनवाया गया। अतः प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है–

(1) क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करेगें जहाँ से प्रकरण के परीक्षण उपरान्त एकल नस्ती पर प्रकरण पदेन अपर सचिव, वन एवं सचिव राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति को प्रेषित किये जावेगें।

(2) प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में याचिका की प्रति आवश्यक रूप से लगाई जावेगी। यदि आवश्यक हो तो याचिका की प्रति उप वन संरक्षक (न्यायालयीन प्रकरण) जबलपुर से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जावेगी।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें प्रथम प्रतिवादी (Respondent) वन विभाग नहीं है और वन विभाग केवल अन्य प्रतिवादियों में से एक है (प्रथम को छोड़कर), ऐसे प्रकरणों में संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक वाद का परीक्षण कर यदि संबंधित वाद में वन विभाग की अहम भूमिका पाये तभी वन विभाग के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराया जाये अन्यथा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/निर्वतन/2017/ 4058 भोपाल, दिनांक 9.8.2017

प्रति,

1.समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश।
2.समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्य प्रदेश।

विषयः– **PAN प्राप्त करने एवं तदुपरांत GST में पंजीयन हेतु प्रकिया बाबत।**

कृपया निम्नानुसार प्रक्रिया अपना कर PAN एवं GST नंबर प्राप्त करें:–

(A) **PAN** प्राप्त करने की प्रकियाः–

1. वनमण्डल के पास **TAN** उपलब्ध हो।
2. स्थानीय आयकर अधिकारी को वनमण्डल के **TAN** के आधार पर **PAN** आवंटित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाए।
3. अनुरोध पत्र के साथ **TAN** का अभिलेख संलग्न किया जाए।
4. Tax Consultant की सेवा प्राप्त कर उपरोक्त आवेदन पत्र एवं अभिलेख को NSDL के portal पर submit कर दिया जाए।
5. आवेदन पत्र submit होते ही पावती नंबर प्राप्त होगा जिससे **PAN** का status प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रकिया अनुसार वनमण्डलाधिकारी हरदा उत्पादन द्वारा 24.7.2017 को **PAN** का आवेदन NSDL के portal पर submit कर दिनांक 1.8.2017 को **PAN** प्राप्त किया गया है।

(B) MIGRATION की प्रकियाः–

1. वनमण्डल के पास **TIN** पहले से ही उपलब्ध है।
2. वाणिज्यिक कर विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय में **PAN** एवं **TIN** का उल्लेख करते हुए MIGRATION हेतु Provisional ID तथा password की मांग की जाए। Provisional ID तथा password मिलते ही **GST** नंबर प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात आपके विकय का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो जाएगा।

अतः स्पष्ट है कि :–

1. सभी वनमण्डलों के पास **TAN** एवं **TIN** उपलब्ध है। सभी को **GST** को हेतु Migrate करना है।
2. सभी को **PAN** उक्त प्रकिया अनुसार प्राप्त करना है।

3. जिन वनमण्डलों के TAN एवं TIN में वनमण्डलों के नाम अलग अलग लिखे गये हैं जैसे कहीं पर production division लिखा है और कहीं पर lumber division लिखा है तो ऐसी स्थिति में TAN में जो नाम लिखा है उस नाम को ही PAN में लिखा जाए।

अतः आप सभी उक्त कार्य स्थानीय स्तर पर चार्टेड अकाउंटेंट/ कर सलाहकार के माध्यम से संबंधित वाणिज्यिक कर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर पूर्ण कराएं अन्यथा नीलाम सम्पन्न नहीं होने के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सभी मुख्य वन संरक्षक अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले वनमण्डलों के लिये विशेष बैठक बुलाकर उक्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए मुझे अवगत कराएं।

संलग्नः– वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल हरदा के पत्र क्रमांक 1139 दिनांक 9.8.2017 की छायाप्रति जिसमें GST के पंजीयन के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है।
पृष्ठ 1 से 9 तक

9-8-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/वनिस/निर्वर्तन/2017 / 4059 भोपाल, दिनांक 9.8.201[illegible]

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जन संपर्क) दिल्ली डिपो, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल हरदा (म.प्र.)
Phone No. 07577-222025 Fax No. 07577-222025 E Mail – dfopharda@mp.gov.in
ISO 9001:2008

क्रमांक/स्टेनो/ 1139 हरदा, दिनांक 9/8/17

(1)

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(उत्पादन),
सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल

विषयः- जी0एस0टी0 में पंजीयन हेतु प्रक्रिया एवं अब तक की गई कार्यवाही का विवरण भेजने बाबत्।

संदर्भः- आपका निर्देश दिनांक 08.08.2017.

-----00-----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जी0एस0टी0 नं0 प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया एवं अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में मैं टीप संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार पाण्डेय)
वनमंडलाधिकारी
उत्पादन वनमंडल हरदा

CCF (M)
PS Commercial Tax से चर्चा करें। CT Commissioner से चर्चा करें DFOs GST No प्राप्त करने की प्रक्रिया को PAN इत्यादि DFOs को मार्गदर्शन के साथ कार्यवाही करने की सूचित करें।
9-8-17

(2)

जी0एस0टी0 में पंजीयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) में पंजीकरण हेतु व्यवसायियों/संस्थाओं को दो श्रेणी में बाटा जा सकता है :-

(अ) ऐसे व्यवसायियों/संस्थायें जो जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार में कर हेतु पंजीकृत नहीं है।

(ब) ऐसे व्यवसायियों/संस्थायें जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार में वेट डीलर के रुप में जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व पंजीकृत है

उपरोक्त दोनों ही श्रेणी के व्यवसायीयों जी0एस0टी0 में पंजीकरण हेतु पृथक-पृथक प्रक्रिया लागू होगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) ऐसे व्यवसायियों/संस्थायें जो जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार में कर हेतु पंजीकृत नहीं है, हेतु प्रक्रिया :-

1. जी0एस0टी0 के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लॉगऑन करें।
2. पंजीकरण फार्म के पार्ट ए में पेन (PAN), मोबाईल एवं ई-मेल जैसे विवरण दर्ज करें।
3. पोर्टल आपके तथ्यों को ओ0टी0पी0 एवं ई-मेल के माध्यम से वेहरीफाई करेगा।
4. आपको एप्लीकेशन रिफरेन्स नम्बर (ARN) , मोबाईल अथवा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा।
5. ARN के आधार पर प्रपत्र बी. भरना होगा।
6. व्यवसाय के हिसाब से आपके अभिलेखों को अपलोड करना होगा।

इस प्रक्रिया के बाद जी0एस0टी0 अधिकारी एप्लीकेशन का परीक्षण प्रारंभ करेगें जीनक कार्य दिवस के पश्चात् जी0एस0टी0 अधिकारी आवेदन पत्र स्वीकार करेगें अथवा आपत्तिय से अवगत करायेगें। समस्त व्यासायियों/संस्थाओं को जी0एस0टी0 नम्बर लेने हेतु PAN CAR की आवश्यकता होगी। विस्तृत विवरण **hptt://cleartaxin/s/gst-registration** की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ब) ऐसे व्यवसायियों/संस्थायें जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार में वेट डीलर के रुप में जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व पंजीकृत है, हेतु प्रक्रिया :–

1. इस श्रेणी में आने वाले व्यवसायियों को जी0एस0टी0 में निर्गमन करना है (Migration to GST)।
2. ऐसे व्यवसायियों/संस्थाओं का जी0एस0टी0 में निर्गमन हेतु राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एक प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
3. राज्य शासन का वाणिज्यिक कर विभाग सिर्फ उन्ही व्यवसायियों/संस्थाओं को प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड जारी करेगी जिनके पास वैध PAN CARD धारित है जो उन व्यवसायियों/संस्थाओं हेतु बनाया गया है।
4. प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे व्यवसायियों/संस्थाओं को जी0एस0टी0 के कामन पोर्टल में लॉगिंन करके फार्म नं. 20 भरकर वांछित अभिलेखों को अपलोड करना पडेगा।
5. इसके पश्चात् उन्हें जी0एस0टी0 नम्बर प्राप्त हो जावेगा।

वनमंडल हरदा (उत्पादन) द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :–

A. वनमंडल हेतु PAN Card प्राप्त करना :–

- वनमंडल हरदा (उत्पादन) के पास पहले से ही TAN No. -BPLD02070F है।
- आयकर अधिकारी को इस TAN No. के आधार पर PAN No. आबटित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया।
- अनुरोध पत्र के साथ TAN No. के अभिलेख भी संलग्न किये गये।
- वनमंडल हरदा (उत्पादन) के टेक्स कन्सलटेंट ने इस आवेदन पत्र एवं अभिलेख पत्र को PAN No. हेतु NSDL के पोर्टल पर दिनांक 24.07.2017 को समिट कर दिया।
- आवेदन पत्र समिट होते ही एक पावती नम्बर प्राप्त हुई जिससे की PAN No. का स्टेटस चेक किया जा सके।
- दिनांक 01.08.2017 को वनमंडल हरदा उत्पादन का PAN No. प्राप्त हो चुका है जो AAALD1867C है।

4

B. माईग्रेशन (Migration) की कार्यवाही करना :-

- वनमंडल हरदा (उत्पादन) के पास पहले से ही TIN No.- 23324600354 है
- वाणिज्यिक कर विभाग म0प्र0 के वृत्त कार्यालय हरदा को PAN No. उपल कराते हुए दिनांक 02.08.2017 को पत्र लिखा गया।
- माईग्रेशन हेतु प्रोविजनल आईडी एवं पासवार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है
- इस संबंध में आयुक्त वाणिज्यिक कर म0प्र0 से दूरभाष पर लगातार सं किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें वनमंडल हरदा उत्पा के आकड़े प्राप्त हो चुके है। जिन्हें जी0एस0टी0एन0 को भेजा जा चुका शीघ्र ही प्रोविजनल आईडी एवं पासवार्ड प्राप्त होगा।

विशेष टीप :-

1. समस्त उत्पादन वनमंडल एवं ज्यादातर क्षेत्रीय वनमंडलों के TAN एवं TIN No. उपल है।
2. कंडिका 1 के तारतम्य में सभी को जी0एस0टी0 हेतु माईग्रेट करना है। नये रजिस्ट्रेशन आवश्यकता नही है।
3. सभी को PAN No. प्राप्त करना है। बिना PAN No. के जी0एस0टी0 नम्बर प्राप्त नहीं हो
4. कभी-कभी वनमंडलों का नाम TIN No. एवं TAN No. में अलग-अलग है। जैसे उत्पादन वनमंडल की जगह लम्बर डिवीजन लिखा है अर्थात् हो सकता है कि T No. में लम्बर डिवीजन के नाम से हो एवं TAN No. वनमंडल के नाम से ऐसी स्थिति में TAN No. में जिस नाम से आबंटित है उसी नाम से PAN No भी लिया जाना चाहिये।
5. वर्तमान में माईगेशन में ही टाईम लग रहा है।

(अजय कुमार पाण्डेय)
वनमंडलाधिकारी
उत्पादन वनमंडल हरदा

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल हरदा

Ph.No. & Fax No. 07577-222025 E-mail-dfopharda@mp.gov.in

क्रमांक / राजस्व / 5078 हरदा, दिनांक 2/8/17

(5)

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
हरदा, जिला–हरदा

विषय :– जी0एस0टी0 में पंजीयन कराने बावत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्र0 / राजस्व / 691 दिनांक 08.07.2017.

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के नाम से TIN No. TIN/HAD/23324600354 आवंटित है TAN No. BPLD02070F है यह एक शासकीय विभाग है। जिसमें लकडी, बांस एवं जलाऊ का विक्रय किया जाता है। एवं वर्तमान में पेन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कीये जाने के पश्चात् आयकर विभाग द्वारा PAN No. AAALD1867C आवटित किया गया है।(छायाप्रति संलग्न है) अतः जी0एस0टी0 में पंजीयन करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अजय कुमार पाण्डेय)
वनमंडलाधिकारी
उत्पादन वनमंडल हरदा

O/C 02/08/17

OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER
LAMBER DIVISION HARDA (M.P.)

Ph.No. & Fax No. 07577-222025
E-mail-dfopharda@mp.gov.in

No./Rev. 4660

Harda, Date 19/07/11

(6)

To,

The Income Tax Officer
Income Tax Office
Harda (M.P.)

Subject : Issue of PAN Card For This Forest Division.

Sir,

With Refrence to the subject mentioned above it to inform that the Government M/s. Divisional Forest Officer Lamber Division Harda & Runing Since 01-11-1976.

Now A PAN CARD is Required for Timber, Bamboo & Fule Wood Sale. It is there for requested to please issue A PAN CARD as details given Below.

Divisional Forest Officer
Lambar Division Harda

Attached : TAN No. Registration Copy

Divisional Forest Officer
Lamber Division Harda

Treasuries & Accounts
Department of Finance
Govt. of MP

7

CHALLAN SUMMARY

कोषालय	चालान तिथि	चालान संख्या	चालान राशि	एच. ओ. ए	जमा कर्ता
[illegible]	[illegible] 201[illegible]		[illegible]	0406-01-800	SHIV TIMBER INDUSTRISES

Click Challan No. to Print Challan Details

If your Challan is not listed kindly traced CIN/CRN from your Net Banking Account. else contact Treasury Officer, Vindhyachal Treasury, Bhopal. Tel. No. 0755-2676044 / 43 to obtain Challan Details.

Back

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755&2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./निर्वतन/जी.एस.टी./ 4150 भोपाल, दिनांक 21/08/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जन संपर्क), विक्रय अधिकारी, नई दिल्ली

विषय :– वनोपज के विक्रय पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूल किये जाने के संबंध में।

––::00::––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन मध्यप्रदेश के भीतर किये जाने वाले मालों की सप्लाई पर कर की दरों के संबंध में भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1/17–सेन्ट्रल टेक्स (रेट) नई दिल्ली, दिनांक 28.06.2017 जारी की गई है, जो कि संबंधित वेबसाईट पर देखी जा सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा मालों की आपूर्ति (Suply) पर कर की दरों के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42) दिनांक 29.06.2017 जारी की गई है। जो कि वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर देखी जा सकती है।

21/08/2017
(ए. बी. गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक (विपणन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D/GST 2017

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष कमांक 0755– 2674354, फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

कमांक/उत्पा/ 4182 भोपाल, दिनांक 25

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी
(क्षेत्रीय/उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषयः– PAN प्राप्त करने के बाद जी एस टी नम्बर प्राप्त करने के संबध में ।

संदर्भ :– 1.सचिव, वित्त विभाग से दूरभाष पर हुई चर्चा दिनांक 23.08.2017
2. दिनांक 24.08.2017 को वीडियों कान्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देश

Email

-----000-----

जैसा कि सर्व विदित है कि जी एस टी नम्बर प्राप्त करने के लिये पूर्व में प्रकिया यह थी कि जिन वनमण्डलाधिकारियों/डी डी ओ को PAN प्राप्त हुये, वे TIN के माध्यम से जी एस टी नम्बर प्राप्त कर सकते थे परन्तु माइग्रेशन की यह सुविधा 15 अगस्त से बंद कर दी गई है ।

वर्तमान प्रकिया में PAN प्राप्त करने के बाद जीएसटी नम्बर प्राप्त करने के लिये समस्त डी एफ ओ / डी डी ओ को आन लाईन आवेदन करने पर बैंक एकांउट नम्बर एवं बैंक के आईएफएसरी कोड मांगा जाता था। चूंकि वनमण्डलों के पास दस डिजिट का बैंक एकाउंट नम्बर नहीं है, ऐसी स्थिति में आन लाईन आवेदन मान्य नहीं हो पा रहा था। इस कठिनाई के संबंध में वित्त विभाग से संपर्क कर चर्चा की गई हैं एवं सचिव वित्त विभाग ने दिनांक 23.08.2017 को अवगत कराया है कि आन लाईन आवेदन के तहत शासकीय विभागों को बैंक एकाउट नम्बर दर्ज किये बगैर ही जी एस टी नम्बर आवंटित कर दिये जायेंगे।

अतएव वनमडलाधिकारी PAN प्राप्त करने के बाद जी एस टी नम्बर प्राप्त करने की कार्रवाई तत्काल करें। यदि जी एस टी नम्बर प्राप्त करने के लिये आवेदन करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वनमण्डलाधिकारी तत्काल स्थानीय वाणिज्य कर अधिकारी से संपर्क कर समस्या का हल निकालें। आवश्यकता पडने पर वनमण्डलाधिकारी अपर आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर श्री राजेश बहुगुणा (मोबाईल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/निर्वतन/ 2017 / 4193 भोपाल, दिनांक 26/8/201,

प्रति,

1.समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश।

2.समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्य प्रदेश।

विषयः— जी.एस.टी. नंबर प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित/फाईनल बिल जारी करने के संबंध में।

संदर्भः— 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/2017/3727 दिनांक 18.7.2017

2.इस कार्यालय का पृष्ठांकन क्रमांक/निर्वतन/जीएसटी/4033 दिनांक 8.82017

3.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बजट/2017/4044 दिनांक 9.8.2017

4.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/ 4182—4183 दिनांक 24.8.2017

कृपया उपरोक्त पत्रों का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें:—

1. जिन वनमण्डलों को जीएसटी नंबर प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें दिनांक 1.7.2017 के बाद जारी किये गये समस्त बिलों/वर्क आर्डर जिसमें लेन—देन की राशि का विवरण दिया गया है, को जीएसटी नंबर अंकित कर पुनरीक्षित बिल जारी करना है ताकि क्रेता क्रेडिट इनपुट का लाभ ले सकें। पूर्व में आपको यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 1.7.2017 के उपरांत जारी किये गये समस्त बिलों पर जीएसटी नंबर अंकित होना आवश्यक है।
2. संदर्भ क्रमांक 1 से इस संबंध में लेख किया जा चुका है कि GSTIN के आधार पर रिवाईज्ड बिल जारी करना है।
3. संदर्भ क्रमांक क्रमांक 2 से आपको रिवाईज्ड बिल जारी करने के लिये प्रोफार्मा इन्वाईस बनाकर भेजी गयी है।
4. वसूले गये जीएसटी का भुगतान राज्य शासन एवं केन्द्र शासन को करने की विधि के संबंध में लेख किया गया है कि आप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) से प्रक्रिया स्पष्ट कर लें। ध्यान रहे आपके द्वारा वसूल किया गया जीएसटी शासन के खाते में नियमित एवं सही प्रक्रिया से जमा हो, यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी clearification की आवश्यकता हो तो आप तत्काल फोन/मोबाईल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

26-8-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755&2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / जी.एस.टी. / 4235 भोपाल, दिनांक 29/08/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन), मध्यप्रदेश
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जन संपर्क), विक्रय अधिकारी, नई दिल्ली

विषय :– वन विभाग के **G.S.T.** के अंतर्गत पंजीयन होने तक के समयकाल को भुगतान एवं माल उठाने हेतु शून्य घोषित करने बावत्।

––::00::––

दिनांक 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में G.S.T. प्रणाली लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं एवं संबंधित विभागों को G.S.T. के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। G.S.T. के अंतर्गत पंजीयन कराये जाने के लिये अधिकांश वन मंडलाधिकारियों द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये है, परन्तु आज तक मात्र 7 वनमंडलों का G.S.T. पंजीयन हो सका है, जिससे 30 जून 2017 तक नीलामों में खरीदे गये माल के भुगतान के संबंध में व्यापारीगण एवं वन मंडलाधिकारियों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि G.S.T. अंतर्गत पंजीयन होने तक के समय काल को व्यक्ति विशेष प्रकरणों अनुसार वनोपज (ईमारती एवं जलाऊ लकड़ी) के नीलाम शर्त क्रमांक 2(ख)(एक) एवं 2(ख)(दो) के अंतर्गत निर्धारित अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावें।

G.S.T. अंतर्गत पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. अनिमेष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / जी.एस.टी. / 4236 भोपाल, दिनांक 29 /08 / 2017

प्रतिलिपि :– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 1371 / 1871 / 2017 / 10–3 दिनांक 29.08.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(शाखा–उत्पादन) वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष : 0755-2575354 ई.मेल: pccfprod@mp.gov.in वेबसाइट: www.mpforest.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / 4357 भोपाल, दिनांक : 21/9/2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

खण्डवा (उत्पा.), बैतूल (उत्पा.), मण्डला (उत्पा.), सिवनी (उत्पा.), डिण्डोरी (उत्पा.), छिन्दवाड़ा (उत्पा.), रायसेन (उत्पा.), बालाघाट (उत्पा.), देवास (उत्पा.), दिल्ली डिपो (कीर्ती नगर दिल्ली)

इन्दौर (सा.), सिंगरौली (सा.), विदिशा (सा.), होशंगाबाद (सा.), पन्ना (सा.), सीधी (सा.), सीहोर (सा.), उत्तर शहडोल (सा.), उमरिया (सा.), दक्षिण शहडोल (सा.), दक्षिण सागर (सा.), दमोह (सा.), छतरपुर (सा.), जबलपुर (सा.), नरसिंहपुर (सा.), टीकमगढ़ (सा.)

मध्यप्रदेश

विषय :– वन विभाग में ईमारती काष्ठ के विक्रय के लिये ई.ऑक्शन लागू करने की प्रक्रिया बावत्।

––0––

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक 30–04 / 2017 / दस–3, दिनांक 23.06.2017 से इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ के विक्रय का निर्णय लिया है। इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने के इच्छुक क्रेताओं द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) के पोर्टल https://mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराया जायेगा। पंजीयन के लिये क्रेताओं द्वारा MPSEDC को रूपये 500 / – (निर्धारित कर अतिरिक्त) के शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका 2 वर्ष उपरांत रूपये 100 / – (निर्धारित कर अतिरिक्त) का भुगतान कर नवीनीकरण करना होगा। MPSEDC के पोर्टल पर कराये गये पंजीयन की पुष्टि इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन का आयोजन करने वाले वनमण्डल के ई.एम.डी. अधिकारी (उपवनमण्डलाधिकारी) द्वारा किये जाने के बाद ही क्रेता नीलाम प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। पंजीयन के लिये निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य होंगे :–
   a. पंजीयन के लिये निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त करना प्रस्तावित है :–
      i. फर्म / कंपनी / संस्था के पंजीयन का दस्तावेज

गार्ड फाईल

ii. यदि क्रेता व्यक्तिगत उपभोक्ता है तो स्वयं प्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें क्रेता स्वयं के उपयोग के लिये काष्ठ क्रय कर रहे है, का वचन देना होगा

iii. क्रेता को आवंटित जीएसटी नम्बर (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)

iv. आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउंट नम्बर

v. आधार कार्ड

vi. संबंधित क्षेत्रिय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीयकृत काष्ठ का पंजीयन (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)

vii. यदि क्रेता द्वारा मुख्तारनामा दिया जाता है तो उसकी प्रति भी मांगी जाये (उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं)

2. क्रेता द्वारा एक बार पंजीयन कराने तथा किसी भी ई.एम.डी. अधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत पंजीयन सभी नीलामों के लिये वैध होगा एवं बार–बार पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. नीलाम में सफल बोलीदार द्वारा रूपये 250/– (निर्धारित कर अतिरिक्त) की राशि का भुगतान Processing Fees के रूप में MPSEDC को करना होगा। क्रेता द्वारा नीलाम में भाग लेने के लिये ब्याने की राशि वनमण्डलाधिकारी के खातें में जमा कराई जाती है। उक्त शुल्क का भुगतान सफल बोलीदार द्वारा जमा कराई गई ब्याने की राशि में से काट कर संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा MPSEDC को किया जायेगा। Processing Fees के भुगतान उपरांत ब्याने की शेष राशि क्रेता को लौटाई जायेगी।

4. नीलाम प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व क्रेता द्वारा संबंधित डिपो के वनमण्डलाधिकारी के पीडी खाते में क्रय की इच्छानुसार लॉटों के मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर की राशि धरोहर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। क्रेता द्वारा जमा की गई धरोहर की राशि के समतुल्य मूल्य के काष्ठ के लिये क्रेता बोली लगा सकेगा। धरोहर की राशि समाप्त होने के बाद क्रेता को बोली नहीं लगाने दी जायेगी, जब तक वह अतिरिक्त राशि नहीं जमा कराई जाती है।

a. धरोहर की राशि में से क्रय की गई काष्ठ के मूल्य के समतुल्य 10 प्रतिशत की राशि घटाकर शेष राशि अगले दिन सुबह क्रेता के खाते में वापस कर दी जाये।

5. एक स्क्रीन पर 10 लॉट की सूची दर्शाई जायेगी। नीलाम में प्रस्तावित लॉटों को 10–10 लॉटो के खण्ड में क्रमानुसार विभाजित कर समय–सारणी तैयार की जायेगी एवं इसे पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, ताकि क्रेताओं को यह विदित रहे कि उनका वांछित लॉट किस अनुमानित समय पर आयेगा। यह समय–सारणी क्रेताओं को Download करने के लिये उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक 10 लॉट के खण्ड का नीलाम समाप्त होने के उपरांत 2 मिनिट का समय अंतराल दिया जायेगा, ताकि क्रेता को कितने लॉट प्राप्त हुये है तथा कितने लॉट में बोली लगाने के लिये धरोहर की शेष है कि गणना का समय मिल सके।

6. बोली लगाते समय अंतिम 2 मिनिट में यदि प्रतियोगी बोली लगाई जाने पर 2 मिनिट की समय वृद्धि दी जायेगी। यदि इस 2 मिनिट में पुनः प्रतियोगी बोली प्राप्त होती है तो 2–2 मिनिट की समय वृद्धि दी जाये ताकि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके, बोली तभी समाप्त होगी, जब अंतिम 2 मिनिट में कोई प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होती है। अवधि वृद्धि वाले लॉट स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में रखे जायेंगे।

7. क्रेता नीलाम के मध्य में अतिरिक्त धरोहर की राशि जमा करा सकेंगे, जिसकी पुष्टि संबंधित ई.एम.डी. अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत क्रय की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

8. नीलाम समाप्त होने के उपरांत अविक्रित लॉट पुनः बोली के लिये प्रस्तावित जायेंगे तथा ऐसे सभी लॉट एक साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।

9. क्रेताओं को मटेरियल लिस्ट ऑन–लाईन डाउनलोड के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त निर्देश इलैक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से विक्रय की जाने वाली काष्ठ पर ही लागू होंगे।

5-9-17

(डॉ. आर. के. गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

पृ.क./उत्पा./ 4358

भोपाल,दिनांक 7/9/2017

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,म.प्र.भोपाल

   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ। उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करवायें।
4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल की ओर पत्र कमांक N0.MPSEDC/EPROC/01/2359 दिनांक 01.09.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया सॉफ्टवेयर में उक्त निर्देशों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।

7-9-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/निर्वतन/ 2017/ 4439 भोपाल, दिनांक 13/9/201

प्रति,

Email also Urgent.

1.समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश।

2.समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्य प्रदेश।

विषयः— जी.एस.टी. नंबर प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित/फाईनल बिल जारी करने के संबंध में।

संदर्भः—
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/2017/4198 दिनांक 26.8.2017
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/2017/3727 दिनांक 18.7.2017
3. .इस कार्यालय का पृष्ठांकन क्रमांक/निर्वतन/जीएसटी/4033 दिनांक 8.82017
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बजट/2017/4044 दिनांक 9.8.2017
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/ 4182—4183 दिनांक 24.8.2017

पूर्व में निर्देशित किया गया था कि जिन वनमण्डलाधिकारियों को जीएसटी नंबर प्राप्त हो चुके हैं और उनके द्वारा दिनांक 1.7.2017 के बाद वनोपज विक्रय से संबंधित बिल/वर्क आर्डर जारी किये गये हैं उन्हें जी.एस.टी. नंबर अंकित कर पुनरीक्षित बिल/वर्क आर्डर जारी किये जाने हैं। यह कार्यवाही जीएसटी नंबर मिलने के 30 दिन के अंदर की जाना है अन्यथा आपके द्वारा जारी किये गये बिलों पर क्रेता को जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

दिनांक 13.9.2017 को कुछ वनमण्डलाधिकारियों से चर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा यह कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक वनमण्डलाधिकारियों की बैठक बुलाकर अपने समक्ष यह कार्यवाही पूर्ण कराएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी क्रेताओं को रिवाईज्ड बिल जारी कर दिये गए हैं। यह बिल स्पीड पोस्ट के माध्यम क्रेताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म पर दिये गये पते पर पहुंचवाना सुनिश्चित करें। इस कार्यवाही के अभाव में यदि किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही किसी क्रेता द्वारा विभाग के विरुद्ध की जाती है तो इसके लिये संबंधित वनमण्डलाधिकारी ही जवाबदार होंगे। इस संबंध में की गयी कार्यवाही के प्रमाण स्वरूप कि दिनांक 1.7.2017 के बाद जारी किये गये समस्त बिल/वर्कआर्डर पर जीएसटी नंबर अंकित कर रिवाईज्ड बिल/वर्क आर्डर समस्त क्रेताओं को स्पीड पोस्ट से भेज दिये गये हैं, का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 25.09.2017 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

13-9-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

गार्ड फाईल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वतन/ 1825 भोपाल, दिनांक 31 /05/2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः— इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण ।

—::00::—

विषयांन्तर्गत लेख है कि विभाग में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने तथा विनिर्दिष्ट इमारती काष्ठ के राजकीय व्यापार अधिनियम के तहत पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है । क्रेता से सभी दस्तावेज ऑनलाईन प्राप्त किये जा रहे है। ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मान्यता प्रदान की गई है ।

इस संबंध में एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें दिल्ली स्थित एक व्यापारी द्वारा सामान्य वनमंडल में पंजीयन कराया गया था। किन्तु सम्बंधित वन मंडलाधिकारी द्वारा उन्हें यह बताया गया है कि जब तक वे स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराते है, तब तक पंजीयन नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार क्रेताओं को परेशान किया गया तो पंजीयन नहीं होगा तथा आनलाईन ऑक्शन की कार्यवाही सम्पन्न करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस संबंध में लेख है कि इलेक्ट्रानिक ऑक्शन का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब सभी प्रक्रिया आनलाईन होगी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई है ।

अतः इस संबंध में आप अपने अधिनस्थ वन मंडलाधिकारियों को नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने बाबत निर्देश जारी कर यह भलीभाँति सुनिश्चित करें कि क्रेताओं को ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया में कोई असुविधा न होने पायें।

30/5/18

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक/निर्वतन/ 1826 भोपाल, दिनांक 31 /05/2018

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सूचना प्रौद्योगिकी), म.प्र. भोपाल को उनकी अशासकीय टीप क्रमांक 63 दिनांक 26.05.2018 के तारतम्य में प्रेषित।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) वनमंडल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक 1087/1443/2018/10-3 भोपाल, दिनॉक 31 मई, 2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन),
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 ।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक /वनिस/निवर्तन/2018/1712, दिनांक 22.05.2018

-----000-----

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। विषयांतर्गत विधि विभाग द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया गया है :-

''प्रशासकीय विभाग अवगत होना चाहेगा कि मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की धारा-4 के प्रकाश में दिनांक 05.05.2018 के पूर्व जिस काष्ठ के संबंध में नीलामी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और केवल भुगतान शेष है, उसके संबंध में उक्त अध्यादेश की धारा-3 का कोई भी प्रभाव उक्त अध्यादेश की धारा-4 के प्रकाश में नहीं होगा और ऐसी नीलामियों के माध्यम से किये गये काष्ठ विकय के भुगतान पर वन विकास उपकर की वसूली उचित होगी।''

अतः विधि विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार सर्व संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

31.5.18
(संजय मोहरीर)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/55/1376 भोपाल, दिनांक 19-4-18

प्रति,

1. समस्त, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
   मध्य प्रदेश
2. समरत वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय/उत्पादन
   मध्य प्रदेश

विषयः– कूपों में पातन के दौरान कुल्हाड़ी एवं आरे का उपयोग करने बाबत।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक अ.प्र.मु.व.सं. (उत्पा)/राजस्व/83/2692 दिनांक 26.04.1995
2. मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक/समिति/5/98/102 दिनांक 29.05.1998
3. सचिव, वनोपज अतंर्विभागीय समिति का पत्र क्रमांक/समिति/440/26 दिनांक 28.03.2018
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनिस/काष्ठ/उत्पा./2018/1106 दिनांक 28.03.2018

––:: 0 ::––

उक्त विषय में संदर्भ क्रमांक–1 द्वारा ये निर्देश जारी किये गये थे कि विधान सभा सदन में दिनांक 13.03.1995 को घोषणा की गई थी कि अब भविष्य में आरे से कटाई नही की जावेगी, बल्कि पहले के समान कुल्हाड़ी से कटाई हो । अतः निर्देश जारी किये गये कि कूपों से सभी प्रकार के वृक्षों की कटाई कुल्हाड़ी से की जाये। तद्उपरांत संदर्भ क्रमांक–2 से उक्त आदेशो में बदलाव करते हुये यह निर्देश जारी किये गये है कि कूपों में कटाई आरों से करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि ठूंठो की बनवाई कुल्हाड़ी से की जाये। उक्त आदेशो के तहत कूपों में वृक्षों के पातन का कार्य आरों से किया जा रहा है।

क्षेत्रीय दौरो के दौरान विभिन्न स्तरों से यह मांग की जाती रही है की वृक्षों के पातन आरों के करने से ठूंठो से कॉपिस या तो पर्याप्त मात्रा में नही निकल रहे है अथवा निकल ही नही रहे है।

अतः इस विषय पर पुर्नविचार करने के लिये पुनः प्रस्ताव वनोपज अतंर्विभागीय समिति की 440 वीं बैठक दिनांक 27.03.2018 को लाया गया। वनोपज अतंर्विभागीय समिति की बैठक में पूर्ण विवरण एवं पूर्व की जानकारी के साथ विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर निर्णय लेने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 को अधिकृत किया जाता है।

संदर्भ क्रमांक–4 से सभी मुख्य वन संरक्षक एवं उत्पादन वन मंडलाधिकारियों से उक्त विषय में सुझाव मांगे गये, जिसके पालन में कुछ मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने सुझाव दिये गये।

क्रमशः...

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/ 1116 भोपाल, दिनांक 28/03/2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :– शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के समय उपस्थित रहने बावत्।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/2034 दिनांक 03.06.2008.

——::00::——

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये थे कि नीलाम के समय वन संरक्षक स्वतः अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त चार अन्य बिन्दुओं पर भी निर्देश दिये गये थे।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि नीलाम के समय मुख्य वन संरक्षक उपस्थित नहीं रहते है, जिससे नीलाम में अनियमितता होने की संभावना बढ़ती जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में काष्ठागारों में नीलाम के समय अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दें। साथ ही यदि नीलामी में किसी कारण उपस्थित नहीं रहते है, तो इस हेतु कारण स्पष्ट करते हुये मुख्यालय को सूचित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

28/3/20

(डॉ. आर. के. गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D-MR

[illegible] तथा [illegible] से संबंधित क्रेताओं का पंजीयन सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर में शीघ्र करायें।

सभी उत्पादन [illegible] का कार्य देखने वाले सामान्य वनमण्डलों तथा शेष सामान्य वनमण्डलों के लिए क्रेता पंजीयन वित्तिय प्रबंधन एवं उत्पादन संबंधी अन्य कार्यो के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का यूजर मेन्यूअल परिशिष्ट--3 पर संलग्न है।

यह समस्त यूजर मेन्यूअल विभाग की वेबसाईट पर लोक सूचना नामक पेनल के इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन लिंक में उपलब्ध है। डिपो प्रबंधन के संबंध में आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो श्री सुभाष वानखेड़े, सहायक प्रोग्रामर (सू.प्रौ.) दूरभाष क्रमांक 9617592781 तथा क्रेता पंजीयन एवं वित्तीय प्रबंधन के संबंध में श्री अमित चन्द्रवंशी, वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलेपर दूरभाष क्रमांक 9425365506 से कर सकते है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा इन सॉफ्टवेयरो पर पृथक से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसकी सूचना आपको यथा समय दी जायेगी। कृपया विभाग के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार यूजर मैन्युअल।

8/3/18

(डॉ. आर. के. गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/उत्पा./[illegible]/ [illegible]

भोपाल, दिनांक : [illegible]

प्रतिलिपि :–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय की ओर सूचनार्थ। कृपया इस कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन) वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष : 0755-2575354 ई-मेल: pccfprod@mp.gov.in वेबसाईट: www.mpforest.gov.in

क्रमांक / उत्पा./ 0086 .... 2018 भोपाल, दिनांक : ..12/3/2018

प्रति,

1. वनमण्डलाधिकारी खण्डवा (उत्पा.), बैतूल (उत्पा.), मण्डला (उत्पा.), सिवनी (उत्पा.), डिण्डोरी (उत्पा.), छिन्दवाड़ा (उत्पा.), रायसेन (उत्पा.), बालाघाट (उत्पा.), देवास (उत्पा.)। 8261 (उत्पादन)
2. (उत्पादन डिपो संधारित करने वाले सामान्य वनमण्डल) इन्दौर (सा.), सिंगरौली (सा.), विदिशा (सा.), होशंगाबाद (सा.), पन्ना (सा.), सीधी (सा.), सीहोर (सा.), उत्तर शहडोल (सा.), उमरिया (सा.), दक्षिण शहडोल(सा.), दक्षिण सागर (सा.), दमोह (सा.), छतरपुर (सा.), जबलपुर (सा.), नरसिंहपुर (सा.), टीकमगढ़ (सा.)
3. बिन्दु 02 में वर्णित सामान्य वनमण्डलों को छोड़कर शेष समस्त सामान्य वनमण्डल ....

विषय :- इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / आई.टी. / 1741, दिनांक 06.12.2017.

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकरन करने का कष्ट करें। समस्त उत्पादन वनमण्डल एवं उत्पादन डिपो संधारित करने वाले सामान्य वनमण्डलों यह अपेक्षा की गई थी कि डिपो मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईमारती काष्ठ संबंधी प्रविष्टि यथा लठ्ठा, स्टैक एवं लॉट तथा नीलाम की जानकारी की प्रविष्टि की जायेगी। खेद का विषय है कि मात्र टिमरनी, खिरकियां, रालामंडल एवं उमरिया डिपो द्वारा ही इस निर्देश का पालन किया गया है।

आपको विदित होगा कि दिनांक 28.03.2018 को टिमरनी डिपो में पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन आयोजित किया गया है। शनैः-शनैः सभी डिपो में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन आयोजित किये जायेंगे। सभी वनमण्डल अनिवार्य रूप से डिपो प्रबंधन सॉफ्टवेयर में तत्काल प्रविष्टि प्रारंभ करें। डिपो प्रबंधन सॉफ्टवेयर का यूजर मेन्यूअल परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा क्रेताओं के पंजीयन के लिये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका यूजर मेन्यूअल परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उपरोक्त यूजर मेन्यूअल प्रदेश से संबंधित सभी टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन को प्रेषित किया गया है। कृपया मेन्यूअल

संशोधित प्रमाण पत्र (31.11.17)

प्रमाण पत्र

क्रमांक–1 प्रमाणित किया जाता है कि मालिक मकबूजा/लोकवानिकी/पंजीकृत निजी वृक्षारोपण क्षेत्र के भूमिस्वामी श्री .... आत्मज .... निवासी .... मोबाईल नं./दूरभाष नं. .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... के मूल निवासी है। इनके निजी रकबे भूमि खसरा .... क्रमांक .... में पातन वृक्ष .... से प्राप्त वनोपज नग .... एवं घनमीटर .... काष्ठ प्राप्त हुई है, जिसका परिवहन डिपो ... . में कराया जा चुका है।

उक्त वनोपज उक्त भूमिस्वामी के निजी रकबे की है। अन्य किसी शासकीय वन/नारंगी/छोटे झाड़ बडे झाड के जंगल का वनोपज इसमें सम्मिलित नहीं है तथा किये गये परिवहन काष्ठ में विभागीय काष्ठ सम्मिलित नहीं है।

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)
नाम ....
वनमण्डलाधिकारी/वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
........................वनमण्डल ....

क्रमांक–2 अनुबंध पत्र में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन कर काष्ठ के भुगतान हेतु मांगी गई राशि रू. .... भुगतान योग्य है।

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)
नाम ....
वनमण्डलाधिकारी/वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
........................वनमण्डल ....

मुख्य वन संरक्षक का अभिमत

क्रमांक–3 वन संरक्षक, क्षेत्रीय/वनमण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय द्वारा दिये गये समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया गया है, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। काष्ठ के भुगतान हेतु वनमण्डल अधिकारी द्वारा मांगी गई राशि का आवंटन करने की सहमति प्रदान करता हूँ।

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)
नाम ....
मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
...............वृत्त....................

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष–उत्पादन सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2017/264–4/5105 भोपाल,दिनांक : 21/ .11.2017

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

समस्त वन मंडलाधिकारी/वन संरक्षक(क्षेत्रीय/उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मालिक मकबूजा लकड़ी/लोक वानिकी क्रय के लिये बजट आबंटन करने हेतु संशोधित प्रारूप में प्रमाण पत्र देने बावत्।

संदर्भः– 1–प्र.मु.व.सं.(उत्पादन) का पत्र क्रमांक/उत्पादन/बजट/2016/239–4 1030 दिनांक 21.03.2017

2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 11.10.2017 में लिये गये निर्णय।

––::00::––

मालिक मकबूजा लकड़ी/लोकवानिकी क्रय के लिए बजट आवंटन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/उत्पादन/बजट/2016/239–4/ 1030 दिनांक 21.03.2017 द्वारा निर्धारित किये गये प्रमाण पत्र में संदर्भ कमांक 2 के अनुसार लिये गये निर्णय के फलस्वरूप पूर्व में जारी प्रमाण पत्र प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है। इस संशोधित प्रमाण पत्र के अनुरुप ही प्रमाण–पत्र की मूल प्रति इस कार्यालय को भेजें। प्रमाण–पत्र एक ही पेज में मूल प्रति में भेजें, आवश्यकता हो तो प्रमाण पत्र के पीछे शेष बचा हुआ प्रमाण–पत्र टाइप करायें तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें।

संलग्नः– संशोधित प्रमाण–पत्र।

21-11-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/17/264–4/ 5106 भोपाल,दिनांक 21/11/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) मध्य प्रदेश भोपाल
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्य प्रदेश भोपाल
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) मध्य प्रदेश भोपाल
   की ओर दिनांक 11.10.2017 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वृत्त प्रभारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित। उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– संशोधित प्रमाण–पत्र।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Data\extra data\bught- -2017-18.doc -

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / निर्वतन / GST / 2264 भोपाल, दिनांक : 5 / 07 / 2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– **GST compliance**

संदर्भ :–कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय कर,सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तालय जबलपुर का पत्र क्रमांक **F.No.iv(11) 28/Nakul patel/p/JBP/2018-19/3379** दिनांक 26.06.2018

——::00::——

विषयान्तर्गत कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय कर,सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तालय जबलपुर के निर्देशानुसार GST compliance के संबंध में प्राप्त निर्देश की छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराई जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

5/7/18

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय आयुक्त
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जबलपुर
CENTRAL TAX, CUSTOMS & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE JABALPUR
केन्द्रीय राजस्व भवन, नेपियर टाउन जबलपुर-४८२००१
CENTRAL REVENUE BUILDING, NEPIER TOWN, JABALPUR-482001
Email: preventivejabalpur@gmail.com FAX. 0761-2400177

F.No. IV(11)28/Nakul Patel/P/JBP/2018-19/3379 Jabalpur, Dated 26.06.2018

To,
The Principal Chief Conservator of Forest,
Government of Madhya Pradesh,
Satpura Bhawan, Bhopal-462006

Sir,

Sub:- GST compliance- reg

As you may be aware that Goods and Services Tax (GST) has been imposed on supply of goods since 01st July 2017, and it has been gathered that various DFOs under your jurisdiction are registered with GST Department. This office has received representations form trade that proper and uniform documents under GST are not being maintained by your filed formations and returns are not being filed correctly which are resulting in problems of improper GST compliance by the trade.

In this regard, it is requested to issue necessary instructions to the field formations under your jurisdiction who are dealing with GST to maintain statutory records and to file returns as per prevalent GST Acts and Rules. You are also requested to ensure timely filing of GST returns by all field formations under your jurisdiction.

This is issued with the approval of Commissioner, CGST, Jabalpur.

Yours Sincerely,

(Tikendra Kumar Kripal)
Assistant Commissioner (Prev.)
CGST Hqrs.Jabalpur

PCCF (Prod) 2/7/18

copy to all CCFs for IA

NO/PA/PCCF(Prod)....428
Date 3/7/18

4496
3/7/18

विषय – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 (राजस्व क्षेत्र) क्रमांक–2 का प्रदाय बाबत ।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) की अशा.टीप क्रमांक 734 दिनांक 18.11.2017.

विषयांतर्गत संदर्भित टीप की छायाप्रति मय सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है । उक्त कंडिका का संबंध आपके कार्यालय से है ।

अतः कंडिका क्रमांक 8.2.16 का उत्तर इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि म.प्र.शासन, वन विभाग को अवगत कराया जा सके ।

5/7/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना–प्रौद्योगिकी)

दिनांक 5/7/2018

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / निर्वतन / 2604 भोपाल, दिनांक 03 / 08 / 2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज के विक्रय पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि के भुगतान के संबंध में ।

––::00::––

इस कार्यालय को विभिन्न वन मंडलों से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में कुछ शंकाओं के समाधान बावत् पत्र प्राप्त हुए है। तत्संबंध में संचालक (वित्त/बजट), वन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1. जिन वन मंडलाधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. की राशि त्रुटिवश, राजस्व के साथ–साथ "राजस्व" मद में ही जमा करा दी गई है, वे राजस्व वापसी की प्रक्रिया के तहत राशि वापस लेकर जी.एस.टी. खाते में जमा करा सकते है।
2. जिन वन मंडलाधिकारियों द्वारा त्रुटिवश देर से जी.एस.टी. की राशि भरने के कारण ब्याज/पैनाल्टी अधिरोपित की गई उसका परीक्षण कर लिया जाए कि ब्याज/पैनाल्टी की राशि कार्यालय की त्रुटि के कारण अधिरोपित हो रही है, अथवा शासकीय प्रक्रिया में देरी के कारण। यदि शासकीय प्रक्रिया में देरी के कारण हो रही है तो # 51 अन्य प्रभार मद से भुगतान किया जा सकता है।
3. कुछ वनमंडलों में पी.डी. खाते से राशि आहरण कर जी.एस.टी. खाते में भुगतान करने में कठिनाई आ रही है तो ऐसे प्रकरण में स्पष्ट है कि संबंधित कार्यालय द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं लिया गया। ऐसे प्रकरणों में जिला स्तर के अन्य राजस्व वाले कार्यालयों से संपर्क कर तथा प्रक्रिया समक्षकर अपनी कठिनाई का निराकरण कर सकते है।

3/8/18

(एस.पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / निर्वतन / 2605 भोपाल, दिनांक 03 / 08/2018

प्रतिलिपि :– समस्त वनमंडलाधिकारी (उत्पादन / क्षेत्रीय) वनमंडल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / निर्वर्तन / काष्ठ / 2018 / 3479 भोपाल, दिनांक : 31 / 10 / 2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज विक्रय के संबंध में जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/2970 दिनांक 27.11.2014, पत्र क्रमांक/47 दिनांक 05.01.2015 एवं पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/95 दिनांक 12.01.2015

––::00::––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उक्त पत्रों के माध्यम से वनोपज के विक्रय की जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। प्रायः यह देखा जा रहा है,कि कतिपय वनमंडलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी न भेजकर मनमाने ढंग से जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की जाती है । प्राप्त जानकारी के प्रपत्र में एकरूपता नहीं होने के कारण जानकारी के संकलन में कठिनाई होती है तथा सही आँकड़े समय पर एकत्रित नहीं हो पाते है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पूर्व में निर्धारित प्रपत्रों में क्रमशः काष्ठ (लट्ठा) बल्ली,जलाऊ काष्ठ एवं बांस के नीलाम परिणाम की जानकारी नियमित रूप से मुख्यालय को प्रेषित की जाये। यह जानकारी प्रत्येक नीलाम की समाप्ति के 5 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाये।

संलग्न :– प्रपत्र 9(i), 9(ii), 9(iii) एवं 9(iv)

30/x/18

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्रमांक/निर्वर्तन/काष्ठ/2018/ 3480 भोपाल, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन), म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

30/10/18

D-MR

प्रपत्र क्रमांक 7(1)

इमारती काष्ठ (लठ्ठा) का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु. क्र.	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रू. प्रति घ.मी.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. मे	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
	प्रथम																	
	द्वितीय																	
	तृतीय ग्रेड (अ)																	
	तृतीय ग्रेड (ब)																	
	चतुर्थ ग्रेड (अ)																	
	चतुर्थ ग्रेड (ब)																	
	चरपट																	
	योगः–																	
2	साल																	
	प्रथम ग्रेड																	
	द्वितीय ग्रेड																	
	तृतीय ग्रेड (अ)																	
	तृतीय ग्रेड (ब)																	
	चतुर्थ ग्रेड																	
	योगः–																	

अनु. क्र.	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रू. प्रति घ.मी.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ .मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा घ .मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	मिश्रित																	
	धावड़ा																	
	बीजा																	
	शिशम																	
	भिर्रा																	
	चिचवा																	
	हल्दू																	
	मुण्डी																	
	साजा																	
	सलई, मोयन																	
	सतकठा																	
	तिंसा																	
	अंजन																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(ii)

इमारती काष्ठ (बल्ली) का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु. क्र.	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रू. प्रति नग				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
	प्रथम																	
	द्वितीय																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	डेंगरी																	
	योगः–																	
2	साल																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	योगः–																	
3	मिश्रित																	
	द्वितीय																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	डेंगरी																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(iii)

जलाऊ का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु. क्र.	प्रजाति	नीलाम में रखे जलाऊ का विवरण				नीलाम में बेची गई जलाऊ का विवरण								प्राप्त दर रू. प्रति जलाऊ चट्टा				अन्य विवरण
		विगत नीलाम का जलाऊ		वर्तमान नीलाम का जलाऊ		विगत नीलाम का जलाऊ				वर्तमान नीलाम का जलाऊ				विगत नीलाम की जलाऊ		वर्तमान नीलाम की जलाऊ		
		लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
2	सलई																	
3	सतकठा																	
4	साल																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(iv)

बांस का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

क्र.	बांस प्रकार व लंबाई	नीलाम में रखे बांस का विवरण				नीलाम में विक्रित बांस का विवरण								प्राप्त दर रू. प्रति वि.ई.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम का बांस		वर्तमान नीलाम का बांस		विगत नीलाम का बांस				वर्तमान नीलाम का बांस				विगत नीलाम की बांस		वर्तमान नीलाम की बांस		
		लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	व्यापारिक बांस (मी.)																	
	2.25																	
	2.50																	
	3.10																	
	3.70																	
	4.60																	
	5.50																	
	6.40																	
	7.30																	
2	औद्योगिक बांस (मी.)																	
	1 मीटर																	
	2 मीटर																	

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018—आषाढ़ 20, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

क्र. 11399-232-21-अ(प्रा.) अधि.-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जुलाई, 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग तीन का निरसन.

२. मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में, धारा ६ तथा ७ को अंतर्विष्ट करने वाले भाग-तीन "वन विकास उपकर" को निरसित किया जाए.

व्यावृत्ति.

३. उपर्युक्त भाग के निरसन पर, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2018

क्र. 11399-232-21-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / निर्वतन / 3784 भोपाल, दिनांक : 12 / 12 / 2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 ।

संदर्भः– विधि और विधायी कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / 11399 / 232–21 / अधिनियम 2018 दिनांक11.07.2018 से मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण)में प्रकाशित अधिनियम।

---::00::---

विषयांतर्गत विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम दिनांक 11.07.2018 की प्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

12/12/18

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ निर्वतन/ 3785 भोपाल, दिनांक : 12/12/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, पंचानन भवन, भोपाल।
3. अध्यक्ष, टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, भगवान गंज सागर, मध्यप्रदेश–470002
4. अध्यक्ष, टिम्बर मर्चेन्ट एण्ड सॉ मिल ऑनर्स एसोसियेशन, नागपुर रोड मदन महल जबलपुर, मध्यप्रदेश–482001
5. अध्यक्ष, सम्भागीय काष्ठ व्यवसायी संघ, नरेन्द्र एण्ड कम्पनी परिसर, सिंहपुर रोड, शहडोल, मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, दि नागपुर टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, नागपुर महाराष्ट्र
7. अध्यक्ष, राजनांदगांव बीड़ी लिव्स एण्ड मेन्यूफेक्चरर्स एसोसियेशन, टाका पारा, जीईरोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़–491441

की ओर सहपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D-MR

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 OF 2018

THE MADHYA PRADESH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 9th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th July, 2018].

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Repeal of Part III. 2. In the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), Part III "Forest Development Cess" containing sections 6 and 7 shall be repealed

Saving. 3. The repeal of the aforesaid part shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

Power to remove difficulties. 4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

Repeal and saving. 5. (1) The Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (No. 9 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / निर्वर्तन / काष्ठ / 2018 / 94 — भोपाल, दिनांक : 10 / 01 / 2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज विक्रय के संबंध में जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 2970 दिनांक 27.11.2014, पत्र क्रमांक / 47 दिनांक 05.01.2015, पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 95 दिनांक 12.01.2015 एवं पत्र क्रमांक / 3479 दिनांक 31.10.2018

---::00::---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उक्त पत्रों के माध्यम से वनोपज के विक्रय की जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि कतिपय वनमंडलों उमरिया, दक्षिण शहडोल, सीहोर, बैतूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी न भेजकर मनमाने ढंग से जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त जानकारी के प्रपत्र में एकरूपता नहीं होने के कारण जानकारी के संकलन में कठिनाई होती है तथा सही आँकड़े समय पर एकत्रित नहीं हो पाते है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पूर्व में निर्धारित प्रपत्रों में क्रमशः काष्ठ (लट्ठा) बल्ली, जलाऊ काष्ठ एवं बांस के नीलाम परिणाम की जानकारी विगत अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक की डिपोवार Excel Sheet में मुख्यालय को 5 दिवस में प्रेषित करें, ताकि जानकारी संकलित की जा सके, इसे अतिआवश्यक समझें। यह जानकारी प्रत्येक नीलाम की समाप्ति के 5 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– प्रपत्र 9(i), 9(ii), 9(iii) एवं 9(iv)

10/01/2019

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्रमांक/निर्वर्तन/काष्ठ/2018/ 95 — भोपाल, दिनांक/10 /01/2019

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन), म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रपत्र क्रमांक–9(1)

(11)a

इमारती काष्ठ (लठ्ठा) का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु क्र	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रु. प्रति घ.मी.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
	प्रथम																	
	द्वितीय																	
	तृतीय ग्रेड (अ)																	
	तृतीय ग्रेड (ब)																	
	चतुर्थ ग्रेड (अ)																	
	चतुर्थ ग्रेड (ब)																	
	चरपट																	
	योगः–																	
2	साल																	
	प्रथम ग्रेड																	
	द्वितीय ग्रेड																	
	तृतीय ग्रेड (अ)																	
	तृतीय ग्रेड (ब)																	
	चतुर्थ ग्रेड																	
	योगः–																	

अनु. क्र.	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रू. प्रति घ.मी.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा घ.मी. में	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	मिश्रित																	
	धावड़ा																	
	बीजा																	
	शिशम																	
	भिर्रा																	
	चिचवा																	
	हल्दू																	
	मुण्डी																	
	साजा																	
	सलई, मोयन																	
	सतकठा																	
	तिंसा																	
	अंजन																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(ii)

इमारती काष्ठ (बल्ली) का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु. क्र.	काष्ठ का विवरण प्रजाति व ग्रेड	नीलाम में रखी काष्ठ का विवरण				नीलाम में बेची गई काष्ठ का विवरण								प्राप्त मूल्य रु. प्रति नग				अन्य विवरण
		विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलान की काष्ठ		विगत नीलाम की काष्ठ				वर्तमान नीलाम की काष्ठ				विगत नीलाम की काष्ठ		वर्तमान नीलाम की काष्ठ		
		लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	लाट संख्या	मात्रा नग संख्या	अवरोध मूल्य	[illegible]	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
	प्रथम																	
	द्वितीय																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	डेंगरी																	
	योगः–																	
2	साल																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	योगः–																	
3	मिश्रित																	
	द्वितीय																	
	तृतीय																	
	चतुर्थ																	
	डेंगरी																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(iii)

जलाऊ का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

अनु. क्र.	प्रजाति	नीलाम में रखे जलाऊ का विवरण				नीलाम में बेची गई जलाऊ का विवरण								प्राप्त दर रु. प्रति जलाऊ चट्टा				अन्य विवरण
		विगत नीलाम का जलाऊ		वर्तमान नीलाम का जलाऊ		विगत नीलाम का जलाऊ				वर्तमान नीलाम का जलाऊ				विगत नीलाम की जलाऊ		वर्तमान नीलाम की जलाऊ		
		लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	लाट संख्या	मात्रा (चट्टे)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सागौन																	
2	सलई																	
3	सतकठा																	
4	साल																	
	योगः–																	

प्रपत्र क्रमांक–9(iv)

बांस का नीलाम परिणाम पत्रक

काष्ठागार का नाम .... वन मंडल का नाम .... नीलाम दिनांक ....

क्र.	बांस प्रकार व लंबाई	नीलाम में रखे बांस का विवरण				नीलाम में विक्रित बांस का विवरण								प्राप्त दर रू. प्रति वि.ई.				अन्य विवरण
		विगत नीलाम का बांस		वर्तमान नीलाम का बांस		विगत नीलाम का बांस				वर्तमान नीलाम का बांस				विगत नीलाम की बांस		वर्तमान नीलाम की बांस		
		लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	लाट संख्या	मात्रा (वि.ई.)	अवरोध मूल्य	प्राप्त मूल्य	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	व्यापारिक बांस (मी.)																	
	2.25																	
	2.50																	
	3.10																	
	3.70																	
	4.60																	
	5.50																	
	6.40																	
	7.30																	
2	औद्योगिक बांस (मी.)																	
	1 मीटर																	
	2 मीटर																	

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

भोपाल,दिनांक : 15-1-15

क्रमांक / उत्पा. / परि0 / 38 / भाग–3 / 129

प्रति,

समस्त

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक / वन मंडलाधिकारी

म0प्र0

विषय :– परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. कर की राशि कटोत्री बाबत।

––::0::––

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन पर संचालक (वित्त / बजट) का अभिमत प्राप्त किया गया। प्राप्त अभिमत अनुसार वनोपज परिवहनकर्ताओं के साथ ऐग्रीमेन्ट तथा वनोपज परिवहन हेतु निविदा सूचना में परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. की राशि वसूली के संबंध में उल्लेख किया जाना चाहिये। जी.एस.टी. की राशि परिवहनकर्ताओं से ही वसूल की जाना चाहिये तथा इस राशि को परिवनकर्ताओं के कुल भुगतान मे से डी.डी.ओ.द्वारा ऑनलाइन कटोती कर सीधे जी.एस.टी. खाते में जमा कराई जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवहनकर्ताओं को किये जाने वाले कुल भुगतान में से नेट भुगतान परिवहनकर्ताओं को ऑनलाइन किया जाये, तथा जी.एस.टी. राशि का भुगतान जी.एस.टी. खाते मे किया जाना चाहिये। ट्रेजरी सर्वर मे अब यह व्यवस्था उपलब्ध हो चुकी है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

11/01/2015

(एस0 पी0 शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 23 .01.2019

क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 197

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के अंतर्गत क्रेता / उपभोक्ता का पंजीकरण।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / निर्वतन / 1680 दिनांक 09.04.2013 तथा क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 790 दिनांक 08.03.2018

––::00::––

विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय वनमंडलों में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के अंतर्गत क्रेता / उपभोक्ता के पंजीकरण को लेकर भ्रांतियां है। कुछ वनमंडलों द्वारा क्रेताओं से पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु ड्राफ्ट ले लिये गये है तथा कुछ वनमंडलों में यह स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न श्रेणियों के पंजीयन में प्रथक–प्रथक शुल्क लिया जाना चाहिये अथवा एक अधिकतम शुल्क लेकर सभी पांचों श्रेणियों में पंजीयन किया जाना चाहिये।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 790 दिनांक 08.03.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा क्रेताओं के पंजीयन के लिये सॉफ्टवेयर पर क्रेताओं का पंजीयन किया जाये। उक्त सॉफ्टवेयर पर पंजीयन हेतु ई–भुगतान की सुविधा है। इस हेतु क्रेताओं से ड्राफ्ट लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः जिन क्रेताओं से ड्राफ्ट लिये गये है उन्हें तत्काल वापस कर उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर पंजीयन करने हेतु परामर्श दें।

जहां तक पंजीयन शुल्क का प्रश्न है इस संबंध में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के प्रावधान स्पष्ट है। नियम 7 के अंतर्गत निम्न 5 श्रेणियों हेतु पृथक–पृथक शुल्क का प्रावधान है :–

1. विनिर्माता तथा उपभोक्ता
2. भवन निर्माण ठेकेदार
3. बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले जिसमें आर्टीजन्स सम्मिलित है
4. केवल व्यापारी, तथा
5. वास्तविक उपभोक्ता

उपरोक्तानुसार पंजीयन की व्यवस्था उपरोक्त वर्णित पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

23/01/2019

(एस.पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 198

भोपाल, दिनांक 23/01.2019

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय / उत्पादन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन,
मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/291/290 भोपाल,दिनांक : 31 .01.2019

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय :– राजस्व की जानकारी बजट हेड में भेजने बावत्।

---::00::---

राजस्व बजट चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव वित्त विभाग ने अवगत कराया कि दिसम्बर 2018 तक वन विभाग की राजस्व प्राप्ति 473 करोड़ है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित की गई राजस्व की जानकारी के अनुसार माह दिसम्बर 2018 तक का राजस्व 732 करोड़ है। यह अन्तर क्यों है, इसकी जानकारी वित्त विभाग को अवगत कराना है। मांग संख्या 10 वन विभाग के अन्दर राजस्व प्राप्ति की हेड वाईज सूची संलग्न है। संलग्न प्रपत्र में आपके द्वारा किस बजट हेड में राजस्व राशि जमा कराई गई है, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक की स्थिति की जानकारी दिनांक 05 फरवरी तक अपने मुख्य वनसंरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को भेजें।

यदि आपके द्वारा पूर्व माहों में किस अन्य बजट शीर्ष जैसे पी.डी. खाता/योजना 8782 अथवा किसी अन्य मद में राजस्व की राशि जमा की गई है, तो उसकी जानकारी मद वार अलग प्रपत्र में प्रस्तुत करें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि, आपके कार्यालय के दल द्वारा महालेखाकार ग्वालियर में अंक मिलान के दौरान सस्पेन्स हेड 8782 में जमा की गई राशि का समायोजन की प्रविष्टि वन विभाग के राजस्व मद में कर दी गई है।

संलग्न :– प्रपत्र

31/01/2019

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/291/291 भोपाल,दिनांक 31-1-19

प्रतिलिपि :– समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त वनमंडलो की उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी संकलित कर वनवृत्त की एकजाई जानकारी दिनांक 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में दिनांक 05 फरवरी तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

वर्ष 2018–19 का मदवार राजस्व लक्ष्य			
माह दिसम्बर 2018 (राशि हजार रूपये में)			
राजस्व बजट शीर्ष	गत माह की प्राप्त आय	दिसम्बर 2018	योग
0406 वानिकी एवं वन्य जीवन			
01 वानिकी			
(101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री			
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज			
– इमारती लकड़ी			
– जलाऊ लकड़ी तथा कोयला			
– बांस			
– अन्य छोटी उपज			
–घटाईये – वापसियां			
योग मद –0180			
(0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी			
– इमारती लकड़ी			
– जलाऊ लकड़ी तथा कोयला			
– बांस			
– अन्य छोटी उपज			
– गोंद			
योग मद –0189			
0940 घटाईये बापसियां			
लघुशीर्ष 101			
(102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां			
(0685) सामाजिक और फार्म वानिकी			
योग लघु शीर्ष – (102)			
(103) पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तिया / सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्तियां			
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज			
योग लघु शीर्ष –(103)			
(201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां			
(202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार			
(0208) बिक्री से प्राप्तियां			
(0209) अन्य प्राप्तियां			
(0210) विक्रय कर से प्राप्तियां			
योग लघु शीर्ष – 202			
(203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार			
(0213) बिक्री से प्राप्तियां			
(0716) अन्य प्राप्तियां			
(0717) विक्रय कर से प्राप्तियां			
(0940) घटाईये – वापसियां			
योग लघु शीर्ष – 203			

[illegible] का राजकीय व्यापार			
[illegible]) [illegible] से प्राप्तियां			
[illegible]) अन्य प्राप्तियां			
[illegible]17) विक्रय कर से प्राप्तियां			
[illegible]40) घटाईये – वापसियां			
[illegible] लघु शीर्ष – 204			
[illegible]– [illegible] बीज का राजकीय व्यापार			
[illegible]– [illegible] से प्राप्तियां			
[illegible]–अन्य प्राप्तियां			
[illegible]–विक्रय कर से प्राप्तियां			
[illegible] लघु शीर्ष – 205			
[illegible]) खैर का राजकीय व्यापार			
[illegible]) बिक्री से प्राप्तियां			
[illegible]) अन्य प्राप्तियां			
[illegible]) विक्रय कर से प्राप्तियां			
[illegible] लघु शीर्ष – 206			
[illegible]) अन्य प्राप्तियां			
[illegible]) अर्थदण्ड और राजसातकरण			
[illegible]) विविध प्राप्तियां			
[illegible]) विदेशी सेवा पर गये अधिकारियों का अंशदान			
[illegible]) चराई			
[illegible]232) कम्यूटेशन			
[illegible]) विक्रय कर से प्राप्तियां			
[illegible]) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए अन्य विभागों से प्राप्तियां			
[illegible]–घटाईयो वापसियां			
[illegible] लघु शीर्ष – 800			
[illegible]) घटाईये – वापसियां			
[illegible]) घटाईये – वापसियां			
[illegible] लघु शीर्ष 900			
[illegible] मुख्य शीर्ष – 0406			
[illegible]–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क वेट कर			
[illegible] अधिनियमों के अंतर्गत उपकरों से प्राप्तियां (वेट [illegible]			
[illegible]– [illegible] विकास उपकर से प्राप्तियां			
[illegible] मुख्य शीर्ष – 0045			
[illegible]–[illegible]विल जमा राशियां (जी.एस.टी.)			

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(शाखा–उत्पादन) वन विभाग, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष : 0755-2575354 ई.मेल: pccfprod@mp.gov.in वेबसाईट: www.mpforest.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / ...395......... भोपाल, दिनांक : 8/2/2019

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के अंतर्गत क्रेता / उपभोक्ता का पंजीकरण।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / निर्वर्तन / 1680 दिनांक 09.04.2013, पत्र क्रमांक / 790 दिनांक 08.03.2018 एवं पत्र क्रमांक / 197 दिनांक 23.01.2019

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा क्रेताओं के ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा विभागीय पोर्टल पर विकसित की गई है एवं क्रेताओं द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीयन, दस्तावेज अपलोड एवं सायबर कोषालय के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

विदित हुआ है कि क्रेताओं द्वारा ऑनलाईन पंजीयन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं सायबर कोषालय में भुगतान करने के बाद भी क्रेताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जा रहा है। यह प्रक्रिया विधि विपरीत है। क्रेताओं द्वारा पंजीयन उपरांत जब भुगतान किया जाता है, तो वर्तमान सायबर कोषालय की प्रक्रिया अनुसार राशि वन विभाग के Zero Balance Transition Account में अंतरित होती है। सभी वनमण्डलाधिकारियों के पी.डी. (Personal Deposit) खाते खोले गये है। दिवस अंत या अगले कार्य दिवस में विन्ध्यांचल कोषालय अधिकारी Bulk Posting के माध्यम से संबंधित वनमण्डलाधिकारी के पी.डी. खाते में राशि अंतरित करते है।

विभाग के पोर्टल पर भुगतान की गई सभी राशि की जानकारी लॉग–इन करने के बाद उपलब्ध रहती है। उदाहरण के लिये वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सिवनी से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट–1 के पृष्ठ 1 पर व्यवस्थित है। कतिपय क्रेता रविलाल खेतराम पटेल ने पार्थ ट्रेडर्स के नाम से पंजीकरण के लिये रू. 3540 / – की राशि जमा की है। विभागीय पोर्टल में उक्त राशि किस CRN No. से जमा की गई है, का उल्लेख है। सायबर ट्रेजरी पर CRN No. से चालान की खोज की जा सकती है। इसका उदाहरण पृष्ठ 2 पर है। सायबर कोषालय द्वारा जारी किया गया चालान पृष्ठ 3 पर प्रदर्शित है। इसी तरह जबलपुर वनमण्डल में पंजीयन से संबंधित जानकारी पृष्ठ 4 से 6 पर उदाहरण के लिये संलग्न है।

आई ...

स्पष्ट है कि सायबर कोषालय वन विभाग के Zero Balance Transition Account से क्रेतावार पृथक-पृथक पोस्टिंग नहीं करेगा, एवं प्रत्येक क्रेता के मामले में वनमण्डल को विभागीय पोर्टल एवं सायबर ट्रेजरी से पुष्टि कराना होगी।

कृपया विभागीय पोर्टल से CRN No. प्राप्त कर सायबर कोषालय से चालान की प्रति अभिलेख के लिये डाउनलोड करें तथा इसके आधार पर क्रेताओं का पंजीयन करें। इस आधार पर, कि पृथक-पृथक पोस्टिंग पीडी खाते में नहीं आई है, पंजीयन नहीं करना नियमानुकूल नहीं है, एवं पंजीयन नहीं करने पर क्रेता द्वारा विधिक प्रकरण लाने की स्थिति आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि कोषालय द्वारा पी.डी. खाते में पृथक पोस्टिंग न होने के कारण क्रेताओं को नीलाम में भाग लेने अथवा वनोपज का परिदान प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। इस संबंध में यदि कोई समस्या हो, तो इस बावत् मुख्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से तुरन्त संपर्क करें। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर श्री अमित चंद्रवंशी से उनके मोबाईल नंबर 9425365506 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

08/02/2019

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / उत्पा. / 356

भोपाल, दिनांक : 8/2/2019

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(उत्पादन), मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/291/ 407 भोपाल,दिनांक : 11/.02.2019

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय :— राजस्व की जानकारी हेड वाइज प्रविष्टि करने बावत्।

——::00::——

बजट चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के आहरण / संवितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त राजस्व की सही हैड में प्रविष्टि न किये जाने के कारण वन विभाग का वास्तविक राजस्व कोषालय के पोर्टल पर सही परिलक्षित नही हो पा रहा है। इस संबंध में दिनांक 05.02.2019 को राजस्व हेड वाइज प्रविष्टि के संबंध में आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा समस्त उत्पादन वन मंडल एवं मुख्यालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह प्रकाश में आया है कि कुछ वनमंडलों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व प्रप्ति को पी.डी. खाते से कोषालय में जमा नही कराया गया है तथा कुछ वनमंडलों द्वारा राजस्व की प्रविष्टि वन प्रेषण 8782 मद में जमा की गई है, जिस पर आयुक्त कोष एवं लेखा ने आपत्ति ली है कि राजस्व की प्रविष्टि सही मदो (0406 के अंतर्गत विभिन्न मद) में की जावे। इस हेतु विभाग के बजट मद की सूची संलग्न है। निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जिन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा राजस्व की प्रविष्टि वन प्रेषण 8782 अथवा अन्य किसी मद में जमा की गई है, उसे तत्काल संबंधित कर्मचारी को महालेखाकार कार्यालय भेजकर सही मदों में राजस्व का समायोजन करवा कर इस कार्यालय को सूचित करें। पी.डी. खाते में जमा राशि को संलग्न सूची के अनुसार सही बजट मद में राशि का समायोजन करें। भविष्य में यही प्रक्रिया अपनाई जावें। जिस राशि का मद ज्ञात न हो, उसको 0406—800 अन्य प्राप्ति मद में प्रविष्टि करें।

संलग्न :— प्रपत्र

11/2/19

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/291/ 408 भोपाल,दिनांक 11/2/2019

प्रतिलिपि :— समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित। उपरोक्त दिये गये निर्देशो का पालन अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त वनमंडलाधिकारियों से तत्काल कराये।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\Data\extra data\bught- -2018-19.doc

वर्ष 2018–19 का मदवार राजस्व लक्ष्य			
माह दिसम्बर 2018 (राशि हजार रुपये में)			
लेखा शीर्ष	गत माह की प्राप्त आय	दिसम्बर 2018	योग
(0406) वानिकी एवं वन्य जीवन			
(01) वानिकी			
(101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री			
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज			
– इमारती लकड़ी			
– जलाऊ लकड़ी तथा कोयला			
– बांस			
– अन्य छोटी उपज			
–घटाईये – वापसियां			
योग मद –0180			
(0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी			
– इमारती लकड़ी			
– जलाऊ लकड़ी तथा कोयला			
– बांस			
– अन्य छोटी उपज			
– गोंद			
योग मद –0189			
(0940) घटाईये वापसियां			
लघुशीर्ष 101			
(102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां			
(0555) सामाजिक और फार्म वानिकी			
योग लघु शीर्ष – (102)			
(103) पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां / सूचना प्रौद्योगिकी से प्राप्तियां			
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज			
योग लघु शीर्ष –(103)			
(201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां			
(202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार			
(0208) बिक्री से प्राप्तियां			
(0209) अन्य प्राप्तियां			
(0210) विक्रय कर से प्राप्तियां			
योग लघु शीर्ष – 202			
(203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार			
(0213) बिक्री से प्राप्तियां			
(0716) अन्य प्राप्तियां			
(0717) विक्रय कर से प्राप्तियां			
(0940) घटाईये – वापसियां			
योग लघु शीर्ष – 203			

(204) बांस का राजकीय व्यापार			
(0215) बिक्री से प्राप्तियां			
(0216) अन्य प्राप्तियां			
(0217) विक्रय कर से प्राप्तियां			
(0940) घटाईये – वापसियां			
योग लघु शीर्ष – 204			
205–साल बीज का राजकीय व्यापार			
219–बिक्री से प्राप्तियां			
220–अन्य प्राप्तियां			
221–विक्रय कर से प्राप्तियां			
योग लघु शीर्ष – 205			
(206) खैर का राजकीय व्यापार			
(0224) बिक्री से प्राप्तियां			
(0225) अन्य प्राप्तियां			
(0226) विक्रय कर से प्राप्तियां			
योग लघु शीर्ष – 206			
(800) अन्य प्राप्तियां			
(0228) अर्थदण्ड और राजसातकरण			
(0229) विविध प्राप्तियां			
(0230) विदेशी सेवा पर गये अधिकारियों का अंशदान			
(0231) चराई			
(0232) कम्यूटेशन			
(0234) विक्रय कर से प्राप्तियां			
(0237) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए अन्य विभागों से प्राप्तियां			
900–घटाईयो वापसिंयां			
योग लघु शीर्ष – 800			
(0238) घटाईये – वापसियां			
(0940) घटाईये – वापसियां			
योग लघु शीर्ष 900			
योग मुख्य शीर्ष – 0406			
0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क वेट कर			
112–अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपकरों से प्राप्तियां (वेट कर)			
0236–वन विकास उपकर से प्राप्तियां			
योग मुख्य शीर्ष – 0045			
8443–सिविल जमा राशियां (जी.एस.टी.)			
महायोग			

65
16
1
72

6

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

क्रमांक / उत्पा. / परि0 / 38 / भाग–3 / 641 भोपाल,दिनांक : 1/3/19

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक / वन मंडलाधिकारी
म0प्र0

विषय :– परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. कर की राशि कटौत्री बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उत्पा. / परि. / 38 / भाग–3 / 129 दिनांक 14.01.2019

––::0::––

संदर्भित कार्यालय पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये थे कि वनोपज परिवहनकर्ताओं के साथ ऐग्रीमेन्ट तथा वनोपज परिवहन हेतु निविदा सूचना में परिवहनकर्ताओं से जी.एस.टी. की राशि वसूली के संबंध में उल्लेख किया जाना चाहिये। जी.एस.टी. की राशि परिवहनकर्ताओं से ही वसूल की जाना चाहिये तथा इस राशि को परिवनकर्ताओं के कुल भुगतान में से डी.डी.ओ. द्वारा कटौती कर सीधे जी.एस.टी. खाते में जमा कराई जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवहनकर्ताओं को किये जाने वाले कुल भुगतान में से नेट भुगतान परिवहनकर्ताओं को ऑनलाइन किया जाये, तथा जी.एस.टी. राशि का भुगतान जी.एस.टी. खाते मे किया जाना चाहिये। कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा कर विदित होता है कि परिवहन समूहों के अनुबंध में जी.एस.टी. का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। कृपया यह टीप करें कि परिवहन समूहों के समस्त भुगतान में से जी.एस.टी. की राशि की कटौती कर जी.एस.टी. मद में जमा किया जाना तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र परिवहनकर्ता को जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

01/03/2019

(एस0 पी0 शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Parivahan.doc

723

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 5/3/19

क्रमांक/उत्पा./सम./210/भाग–2/660

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश.

विषय :– न्यायालयीन प्रकरणों की उत्पादन शाखा से संबंधित जानकारी भेजने के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उत्पा. / सम. / 210 / 2018 / 689 दिनांक 26.02.2018, क्रमांक/3667 दिनांक 27.11.2018 एवं क्रमांक/ 3874 दिनांक 22.12.2018 ।

––::00::––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिये। आपको बार–बार लेख कर निर्देशित किया गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित 18 प्रपत्रों में जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निश्चित रुप से भेजना सुनिश्चित करें। किन्तु खेद का विषय है कि जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है। भेजी गयी जानकारी गलत गलत प्रपत्रों मे अंकित की जाती है । जबकि कार्यालय द्वारा बार– बार लेख किया जा रहा है, कि इस कार्यालय को मात्र उत्पादन से संबंधित एवं स्पष्ट जानकारी भेजी जाये। अन्य विषयों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी संबंधित विभाग प्रमुखों को पृथक से प्रेषित की जायें । उसके बाद भी अस्पष्ट जानकारी भेजी जा रही है। बारः बार लेख करने एंव दूरभाष पर चर्चा करने के उपरांत भी ऐसी जानकारी भेजा जाना उचित प्रतीत नही होता है, जिससे जानकारी एकजाई करने मे काफी परेशानी होती है, ।

अतः पुनः लेख है कि जानकारी हर माह की 5 तारीख तक पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी भेजी जाना सुनिश्चित करें ।

5/3/19

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\Kalpana Samanvay letter.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in.

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/145/ 721 भोपाल, दिनांक 8/3/19

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
म0प्र0

विषय :– वानिकी कार्यों के सम्पादन हेतु जॉब दर निर्धारण।

–0–

[illegible] उत्पादन कार्यों में जॉब दर का [illegible] हेतु पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/[illegible]/उत्पा./काष्ठ/145/2470 दिनांक 16.09.2014 [illegible] से वर्क स्टडी करवाकर वर्क स्टडी के आधार पर [illegible] के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार [illegible] प्रेषित नहीं किये गए है।

[illegible] पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त निर्देशों के पालन में वर्क स्टडी करवाकर [illegible] प्रेषित किया जा चुका है, तो उसकी पठनीय प्रति प्रेषित करें। यदि अभी तक निर्देशों के अनुरूप वर्क स्टडी नही करवाई है, तो चालू विदोहन सीजन में अपने स्तर से तीन वन मंडलाधिकारियों की एक समिति का गठन कर प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिये वर्क स्टडी करवाऐं तथा वर्क स्टडी के आधार पर जॉब दर का प्रस्ताव वृत्त वार भेजें। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट उल्लेख करें कि वर्क स्टडी हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

08/03/2019
(एस0पी0शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/145/ 722 भोपाल, दिनांक 8/3/19

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. समस्त, वन मंडलाधिकारी, उत्पादन/क्षेत्रीय, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

आदेश द्वारा श्री जे. के. मोहन्ती (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 5/4/2019

आदेश क्रमांक / स्था./ 81

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/55 दिनांक 24.06.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की सूचना क्रमांक/2696/3611/2018/10–1 दिनांक 19.12.2018 के निरन्तर क्रम में **"नवीन मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018"** के क्रियान्वयन हेतु मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन/विपणन), म.प्र. भोपाल को नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाता हैं।

विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों का बेहतर समन्वय एवं निराकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) अब समन्वय अधिकारी होंगे।

(जे. के. मोहन्ती)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5/4/2019

पृ. क्रमांक / स्था. / लीगल सेल/ 1078

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक/2696/3611/2018/10–1 दिनांक 19.12.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कार्य–आयोजना एवं वन भू–अभिलेख), मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. वन विकास निगम मर्यादित, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ(व्यापार एवं विकास) मर्यादित, म.प्र. भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संयुक्त वन प्रबंधन), मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मानव संसाधन विकास), मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा), मध्यप्रदेश भोपाल।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय), मध्यप्रदेश भोपाल।
11. मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन/विपणन), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन),म.प्र भोपाल।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/अनुसंधान विस्तार/क्षेत्र संचालक/कार्य आयोजना), म.प्र.
13. उप वन संरक्षक(न्यायालयीन प्रकरण), जबलपुर मध्यप्रदेश।
14. नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण, इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
15. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), मध्यप्रदेश भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन / विपणन)
कार्या. प्रधान मुख्य संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 17/06/2019

क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2019/ 1852

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय:– व्यापारी विनिर्माता या उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त विनिर्दिष्ट वनोपज का पुर्नविक्रय करने पर क्रेता से विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क वसूल करने के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 25–82/2018/10–3 दिनांक 12 जून, 2019

—::—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत हस्तांतरण शुल्क (नवीकरण) की राशि वसूली के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार अब निर्दिष्ट वनोपज का पुर्नविक्रय करने पर क्रेता से विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क के स्थान पर क्रेता से प्रति आवेदन रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) फीस (हस्तांतरण शुल्क) प्राप्त कर लिखित में अनुज्ञा प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश की छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कृपया शासन निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

17/6/19

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17/06/2019

पृ0क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2019/ 1853

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D-MR

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

— :: आदेश :: —

भोपाल, दिनांक 12जून,

क्रमांक एफ 25–82/2018/10–3 :: राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वन (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा–12 (क)(3) के प्रावधान अ विनिर्दिष्ट वन उपज का पुनर्विक्रय करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आ पत्र तथा ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से विक्रय मूल्य की 3 प्रतिशत हस्तांतरण के स्थान पर क्रेता से प्रति आवेदन रूपये 500.00(रूपये पांच सौ मात्र) (हस्तांतरण शुल्क) प्राप्त कर दोनों को लिखित में अनुज्ञा प्रदान किए जा स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह आदेश मंत्रि–परिषद् की बैठक दिनांक 27 मई, 2019 के अ क्रमांक–3 पर लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/6/19
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ0कमांक एफ 25–82/2018/10–3, भोपाल, दिनांक 12 जून,

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. निज सचिव, माननीय वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. उप संचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल।
6. गार्ड फाईल।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उ) मध्य प्रदेश
5276
दिनांक 15-6-19

13/6/19

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2574354 Email- pccforod@mp.gov.in

क्रमांक/बजट/2019/3238 — भोपाल, दिनांक 19/7/19

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी,

उत्पादन वनमण्डल मध्यप्रदेश

विषयः– विभागीय काष्ठागारों में स्थित सोलर पैनल बाबत।

आपके वनमण्डल अंतर्गत विभिन्न काष्ठागारों में वर्ष 2011–12 में 5 के.व्ही. के सोलर पैनल लगाये गये थे, जोकि पूर्व में अच्छी तरह कार्य कर रहे थे। विगत 5–6 प्रवासों के दौरान विभिन्न काष्ठागारों में पाया गया कि यह सोलर पैनल वर्तमान में रखरखाव के अभाव में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आईटी शाखा द्वारा एमओयू नहीं करना है। आईटी शाखा द्वारा यह कार्य सभी परिक्षेत्र एवं काष्ठागारों के लिये किया जाना था। इस संबंध में आईटी शाखा से पृथक चर्चा की जावेगी। विगत कुछ वर्षों से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है एवं वर्तमान में जिला स्तर पर भी कई एजेंसियां सोलर पैनल के रखरखाव का कार्य कर रही हैं। अतः स्थानीय स्तर पर इन एजेंसियों से संपर्क कर सोलर पैनल के रखरखाव (बेट्री सहित) कराया जा सकता है। अतः इस कार्य हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित कर बजट हेतु मांग कर सुनिश्चित करें कि सोलर पैनल पूर्ण क्षमता से कार्य करने की स्थिति में हों।

(डॉ. एस.पी.रयाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म.प्र.भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक : 31/7/2019

क्रमांक/उत्पा. काष्ठ/2019/3395

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन),

मध्यप्रदेश

विषय :– कूपों का विदोहन एवं हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा चिन्हांकित वृक्षों का पातन नहीं करने से निष्फल व्यय की वसूली बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/1837 दिनांक 28.04.2004 (छायाप्रति संलग्न है)।

––::0::––

कृपया पत्र के साथ संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र अंतर्गत कूपों की मार्किंग का निरीक्षण, मार्कशुदा वृक्षों का हस्तांतरण एवं कटाई उपरांत क्षेत्रीय वनमंडलों को कूप को वापस करने की प्रक्रिया बावत् विस्तृत निर्देश पत्र में अंकित है। यह आवश्यक है कि पत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं एवं कार्य पद्धति का परिक्षेत्र स्तर पर प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी पालन करें। यदि आवश्यक हो तो समय–समय पर इस बावत् सेमिनार आयोजित कर क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को बारम्बार उक्त प्रक्रिया से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, व आवश्यक पालन प्रतिवेदन निरंतर प्रेषित किये जावें।

आशा की जाती है कि कूपों में विदोहन/हस्तांतरण से संबंधित विद्यमान निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. एस. पी. रयाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

भोपाल, दिनांक : 31/7/2019

पृक्रमांक/ उत्पा. काष्ठ/2019/3396

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कार्य आयोजना/उत्पादन), म.प्र. भोपाल
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास/वित्त एवं बजट), म.प्र. भोपाल
3. प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

desktop/Kandika H

(84)

ए. पी. द्विवेदी
भा.व.से.
... मुख्य वन संरक्षक, म. प्र.

A. P. Dwivedi
I.F.S.
... Conservator of Forests, M.P.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल
O/o Principal Chief Conservator of Forests
Madhya Pradesh, Satpura Bhawan, Bhopal
Tel.: (Office) 2550809, Fax : 2551561, (Resi) 2553051

क्रमांक No. उ.का.प्र./1237
दिनांक Dated 28-4-2004

प्रति

समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश
समस्त वनमण्डलाधिकारी,
क्षेत्रीय, उत्पादन वनमण्डल,
मध्यप्रदेश

विषय—कूपों का विदोहन एवं हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा चिन्हांकित वृक्षों का पातन नहीं करने से निष्फल व्यय की वसूली बावत।

संदर्भ—मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र कमॉक 18256 दिनॉक 10.10.1977 एवं 18255 दिनॉक 10.10.1977

उपरोक्त पत्रों के माध्यम से कूपों की मार्किंग का निरीक्षण, मार्कशुदा वृक्षों का हस्तांतरण एवं कटाई उपरांत क्षेत्रीय वनमण्डल को कूपों को वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इमारती लकड़ी के ... कार्य आयोजनाओं में भी ... के प्रारंभिक दौर से लेकर अभी तक यही प्रकिया लागू है। विभिन्न कार्य आयोजनाओं में भी ... प्रावधान किया जाता है कि कूपों के सीमांकन के उपरांत उपचार मानचित्र की तैयारी परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा की जाएगी। वनवर्धनिक दृष्टि से वृक्षों को चिन्हांकित करने का कार्य भी कूपों के महत्व के आधार पर जिम्मेदार अधिकारी यथा उप वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी अथवा परिक्षेत्र सहायक द्वारा किया जाता है। इन निर्देशों का पालन समय समय पर कतिपय वनमण्डलों में नहीं होने से गंभीर ऑडिट आपत्तियों का निर्माण हुआ है और शासन स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित कर वसूली आदि करने के निर्देश दिये गये है। अतः पूर्व में दिये गये निर्देशों को पुनः दोहराते हुए कूपों की मार्किंग, हस्तांतरण एवं विदोहन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं—

कूपों का सीमांकन परिक्षेत्र सहायक द्वारा किया जाएगा और परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मार्किंग रिकार्ड पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर सीमांकन प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। कूपों के अंकन नियमों के महत्व को देखते हुए कम महत्व के कूपों में परिक्षेत्र सहायक, महत्वपूर्ण कूपों में परिक्षेत्र अधिकारी एवं विशिष्ट महत्व के कूपों में उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा वनवर्धनिक दृष्टि से टेस्ट मार्किंग का कार्य कराया जाएगा।

वन संरक्षक
6434
21/8/18
645
17/5/04

P:\...\Shared Docs\...

(27)

2– परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा मार्किंग कार्य के दौरान समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। प्रमाणकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये उप वनमण्डल अधिकारी स्तर पर से यह अनिवार्य भी हो जाता है। मार्किंग कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपवनमण्डलाधिकारी कूपों का अंतिम निरीक्षण कर इसका प्रमाण पत्र भी मार्किंग [illegible] पृष्ठ पर अंकित करेंगे।

3– प्रत्येक कूप के मार्किंग अभिलेख के गोशवारे का परीक्षण, गणना पत्रक की चेकिंग, कूप के अंतिम निरीक्षण का प्रमाण पत्र आदि सहित मार्किंग अभिलेख उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय के [illegible]

[illegible] वनमण्डल [illegible] पर एक संयुक्त बैठक आयोजित कर उत्पादन एवं क्षेत्रीय शाखा के वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी संयुक्त रूप से अभिलेखों को निर्धारित प्रपत्र पर हस्तांतरित करेंगे [illegible] हस्तांतरित किये जाएंगे।

[illegible] उत्पादन [illegible] के कर्मचारी कूप का अभिलेख प्राप्त होने के बाद कूपों का निरीक्षण कर यदि सीमा के संबंध में, अंकित वृक्षों की संख्या के संबंध में, वृक्षों के वर्गीकरण की गुणवत्ता के संबंध में अथवा कूपों में बिना [illegible] अवैध कटाई के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह तत्काल वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डल को [illegible] और तदुपरांत दोनों वनमण्डलाधिकारी संयुक्त रूप से इसका निराकरण करेंगे।

विदोहन कार्य के उपरांत कूप का समाप्ति प्रतिवेदन बनाया जाएगा और इसके लिये निर्धारित प्रपत्र में [illegible] शाखा के अधिकारी हस्ताक्षर करने के पश्चात संयुक्त बैठक आयोजित करके कूपों को क्षेत्रीय वनमण्डल को हस्तांतरित कर दिये जाएंगे।

[illegible] की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उपरोक्त निर्देशों के नियमित रूप से प्रतिवर्ष संबंधित [illegible] द्वारा पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

भविष्य में इन निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए। ताकि मार्कशुदा वृक्षों की कटाई न होने से, [illegible] उत्पादन व वास्तविक उत्पादन में अधिक कमी होने से जो आडिट आपत्तियाँ निर्मित हो रही हैं, वे भविष्य में न हो।

प्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों में समय समय पर चिन्हांकित वृक्षों से कम वृक्षों का पातन करने पर आडिट आपत्तियाँ उत्पन्न हुई है। इसके उत्तर में विभाग द्वारा कतिपय कारण दर्शाये गये हैं, जैसे– फलदार वृक्ष होना, दुर्गम क्षेत्र एवं तीव्र ढलान में स्थित होना, विदोहन के लिये अलाभकारी होना एवं मौके पर चिन्हांकित वृक्ष का नही मिलना आदि। इस प्रकार के कारणों को शासन द्वारा मान्य नही किया गया है और ऐसे वृक्षों के मार्किंग पर हुए निष्फल व्यय की वसूली बावत निर्देश दिये गये है। विभिन्न वनमण्डलों में इसकी वसूली की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से लंबे समय से आपत्तियाँ बनी हुई है। इस संबंध में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा पूर्ण विचारोपरांत अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की गयी थी, जिसे मान्य करते हुए मार्किंग कार्य के निष्फल व्यय की वसूली के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. दुर्गम क्षेत्र में वृक्ष स्थित होना.

कार्य आयोजना में दुर्गम क्षेत्र में स्थित वृक्षों को मार्किंग करने का प्रावधान नही है। दुर्गम क्षेत्र वह है जो तीव्र ढलान, नदी–नाले के किनारे स्थित होता है, ऐसे क्षेत्र के वृक्षों को यदि चिन्हांकित कर दिया जाता है, तो उसकी कटाई उत्पादन कर्मचारी नहीं कर पाते हैं। अतः आपत्ति के उत्तर में यदि

— 3 —

[illegible] माना गया है कि वृक्ष दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण नहीं काटे गये और उत्पादन वन मण्डलाधिकारी के इस उत्तर को वन संरक्षक सहमत होते हुए अग्रेषित करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे न [illegible] वृक्ष दुर्गम क्षेत्र में थे, ऐसे वृक्षों की मार्किंग करना कार्य आयोजना के निर्देश का उल्लंघन है। [illegible] इसके लिए मार्किंग पर हुए निष्फल क्षेत्रीय वन मण्डल के अधिकारी कर्मचारी से वसूली की जायेगी। यदि वन संरक्षक विचारोपरान्त यह पाते है कि दुर्गम क्षेत्र में वृक्ष स्थित होने के सम्बध में पूर्व में दिये गये उत्पादन वन मण्डल का तर्क सही नहीं है, तो वे सही स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं और [illegible] उत्पादन वन मण्डल का तर्क गलत प्रमाणित होता है तो ऐसे वृक्षों को न काटने के कारण मार्किंग के निष्फल व्यय की वसूली उत्पादन वन मण्डल के अधिकारी कर्मचारियों से की जा सकती है । इसके [illegible] वन संरक्षक [illegible] निर्णय देना होगा, क्योंकि उत्पादन एवं सामान्य वन मण्डल के बीच अभिमत [illegible] होने की स्थिति में वन संरक्षक को ही अंतिम निराकरण करना होगा । जिस वन मण्डल की भी [illegible] वन संरक्षक निर्धारण करें, उनकी वन रक्षक स्तर से लेकर उप वन मण्डलाधिकारी स्तर तक किसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, इसका निर्धारण भी वन संरक्षक ही करेंगे और तदनुसार वसूली आदेश करते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण करे ।

2. फलदार वृक्ष।

कार्य आयोजना में फलदार वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध रहता है। अतः यदि न काटे गये वृक्ष फलदार है और ऐसे उत्तर की पुष्टि वन संरक्षक द्वारा की जाती है, तो ऐसे वृक्षों को अंकित करने के लिए निष्फल व्यय की वसूली क्षेत्रीय कर्मचारियों से होगी।

उपरोक्त दोनों स्थिति में मार्किंग का कार्य करने की जिम्मेदारी सामान्यतः परिक्षेत्र सहायक स्तर की होती है, जो सम्पूर्ण कूप में अंकन नियम के अनुसार वृक्षों पर 'डेब' मार्किंग करता है। अतः किसी वृक्ष को काटना है अथवा नहीं काटना है, यह निर्णय परिक्षेत्र सहायक द्वारा शतप्रतिशत किया जाता है [illegible] करना चाहिए। अतः त्रुटि की मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] कूपों के [illegible] का प्रमाण पत्र देते हैं। डेब मार्किंग का कार्य महत्वपूर्ण कूपों में स्वय करते है [illegible] सामान्य कूपों में आंशिक सत्यापन करते हैं, अतः वे भी इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं। उप वन मण्डलाधिकारी भी मार्किंग का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं एवं मार्किंग उपरान्त अंतिम निरीक्षण करते हैं। वन रक्षक डैब मार्किंग हो जाने के बाद समस्त वृक्षों का खांचा पट्टा एवं अभिलेखन का कार्य करते हैं। अतः उनके द्वारा ऐसी त्रुटि को सुधारने का अवसर मिलता है और गलत मार्किंग होने पर परिक्षेत्र सहायक को बताकर ऐसी त्रुटि को सुधार सकते थे। उपरोक्त कारणों से चारों स्तर की जिम्मेदारी बनती है। अतः वन संरक्षक विभिन्न स्तर के अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी कितनी बनती है एवं उनसे सही हानि की वसूली किस अनुपात में किया जाना है, यह निर्धारण कर वसूली के आदेश प्रसारित करावेंगे और वसूली की कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

3. विदोहन के लिए अलाभकारी.

जिन वृक्षों की कटाई करके परिवहन कराने में आमदनी से अधिक खर्च होने की आशंका है, ऐसे वृक्षों को अलाभकारी मानते हुए उत्पादन कर्मचारी द्वारा विदोहन से छोड़ दिया जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसा कारण है, जिसका निर्णय उत्पादन के कर्मचारी द्वारा नहीं लिया जा सकता । यदि वृक्षों को मार्किंग कर दिया गया और उसका विदोहन अलाभकारी है, तो उत्पादन कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हुए सक्षम स्तर से विदोहन दर में आवश्यक वृद्धि करते हुए विदोहन कर लेना चाहिए। यदि वृक्षों का विदोहन वन वर्धन की दृष्टि से आवश्यक था तो केवल लाभ की दृष्टि से उसे न काटना सही नहीं है। आम तौर पर ऐसे कारण कटाई के दौरान एवं कूप हस्तांतरण होने तक भी प्रकाश में नहीं लाया जाता है। जब आडिट द्वारा आपत्ति ली जाती है, तो ऐसे कारण को उत्तर में दर्शाया जाता है, अतः यह त्रुटि उत्पादन शाखा की है। अतः वन संरक्षक ऐसे प्रकरण में उत्पादन के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे एवं किन से कितनी वसूली होना है, इसका भी निर्धारण करेंगे । तदोपरान्त वसूली के आदेश प्रसारित कराते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

– 4 –

(89) (4)

4. मौके पर चिन्हांकित वृक्षों का न मिलना.

ऑडिट आपत्ति में जब यदि यह कारण दर्शाया जाता है [illegible] इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय वन मण्डल अथवा उत्पादन वन मण्डल दोनों को ही हो सकती है। यदि [illegible] हस्तांतरण के समय मौके पर प्रभार लेने के दौरान, अथवा वर्ष भर में कटाई के दौरान उत्पादन शाखा को यह मालूम होता है कि मार्क किये गये वृक्ष मौके पर कम मिल रहे है तो वे इसका प्रतिवेदन दे सकते हैं और क्षेत्रीय वन मण्डल और उत्पादन वन मण्डल के संयुक्त निरीक्षण में वस्तुस्थिति का खुलासा हो सकता है। या तो मौके पर मार्कशुदा वृक्ष बिना कटे खड़े मिल जायेंगे, तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि उत्पादन वन मण्डल से कम वृक्ष होने की जानकारी गलत है। मौके पर मार्कशुदा वृक्षों के [illegible] के प्रभार लेने के बाद अवैध कटाई हो जाने की स्थिति में [illegible] मिल जायेगा, जिससे उत्पादन कर्मचारी की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकती है। यदि मार्कशुदा वृक्ष [illegible] प्रभार उपरान्त अवैध कटाई के [illegible] भी नहीं है और काटे वृक्षों की संख्या मार्क किये गये वृक्षों की संख्या से कम है तो स्पष्टतः ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय वन मण्डल के कर्मचारियों ने वास्तविक संख्या अधिक वृक्षों की मार्किंग की आँकडे दर्शाने की जिम्मेदारी होगी। यदि उत्पादन कर्मचारी द्वारा प्रभार लेते समय एवं वर्ष अवधि में कटाई के दौरान इस कमी के बाबत् कोई जिक्र नही किया जाता, केवल ऑडिट आपत्ति के उत्तर में इसे कारण के रुप में दर्शाया जाता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्पादन कर्मचारियों की होगी। दोनों ही परिस्थितियों में वन रक्षक जो मुख्यत अभिलेखन का कार्य करते है [illegible] जो कटाई के दौरान [illegible] के अभिलेखन करते है, उनकी जिम्मेदारी सबसे [illegible] [illegible] वृक्षों की मार्किंग व्यय की वसूली यथा स्थिति क्षेत्रीय वन मण्डल के अधिकारी कर्मचारियों से अथवा उत्पादन वन मण्डल के अधिकारियों कर्मचारियों से वसूली हेतु वन संरक्षक निर्णय [illegible] किस कर्मचारी अधिकारी से कितनी हानि की वसूली होना है, यह भी वन संरक्षक निर्धारित करेंगे और तदनुसार वसूली के आदेश जारी करते हुए, वसूली की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

वन संरक्षक [illegible] निर्धारित करते समय यह अवश्य विचार करें कि वनमण्डल के कितने [illegible] इस प्रकार की गड़बड़ी है। यदि वनमण्डल के अधिकांश कूपों में इस प्रकार की गड़बड़ी पायी [illegible] है तो [illegible] वनमण्डलाधिकारी पर भी डाला जाना चाहिये।

[illegible] मार्किंग कार्य में ऐसे निष्फल व्यय की वसूली हेतु लम्बित समस्त कण्डिकाओं में आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाए। भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो यह भी देखा जाए। यदि इस प्रकार की त्रुटि भविष्य में फिर भी होती है, तो ऑडिट आपत्ति का अवसर दिये बिना आवश्यक कार्यवाही [illegible] वनमण्डलाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा की जाए।

(ए0पी0द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/30/का8/ 1838
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनॉक 28-4-04

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना)/(उत्पादन), म0प्र0 भोपाल
मुख्य वन संरक्षक (विकास)/(वित्त एवं बजट),म0प्र0भोपाल
प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

परिवहन

13/5/04

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in.

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–5/192/3665 भोपाल,दिनांक 26/08/2

प्रति,

समस्त

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

(म0प्र0)

विषयः– अत्यंत कम उत्पादन वाले/अलाभकारी कूपों में विदोहन कार्य के संबंध में दिशा निर्देश बाबत।

––:: 0 ::––

विषयांकित के संबंध में लेख है कि अत्यन्त कम/उत्पादन/अलाभकारी कूपों में विदोहन कार्य जिसमें निर्धारित मानव दिवस पर कार्य कराया जाना निम्न कारणों से संभव नहीं है:–

मजदूरों को प्रति दिवस कार्य करने के उपरांत भी प्रतिदिन की प्रचलित मजदूरी भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

1. कम उत्पादन होने से कूप का रकवा ज्यादा होने पर निकासी मार्ग निर्माण सुरक्षा में उत्पादन की तुलना में व्यय अधिक होता है।
2. छोटे कूपों का विदोहन करने में उत्पादन वनमंडल को निर्धारित नार्मस से अधिक व्यय करना पड़ता है।
3. कूपों में कम उत्पादन होने से मजदूरों को प्रचलित प्रतिदिन मजदूरी न प्राप्त होने के कारण श्रमिक भी कार्य हेतु उपलब्ध यनही हो पाते है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुये निर्देशित किया जाता है कि :–

1. कम उत्पादन/अलाभकारी कूपों को उत्पादन वनमंडलों को न हस्तांतरित किया जावे।
2. इस प्रकार के कूपों में उत्पादन को मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृति दर पर संबंधित वनमंडल द्वारा किया जाना उचित होगा।
3. चूंकि संबंधित क्षेत्रीय वनमंडल का कार्य आयोजना में जो भी प्रावधान है, उसका भली भांति क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है। अतः उत्यन्त कम उत्पादन/अलाभकारी कूपों में क्षेत्रीय वनमंडल द्वारा ही विदोहन कार्य कराया जाकर कार्य आयोजना के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जावे।

20/8/19

अपर प्रधान मुख्य,वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Kasht.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वतन/4799 भोपाल, दिनांक :27/11/2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
म0प्र0

विषय :- घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय ठेकेदारों/संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान सुविधा के व्यय का निर्धारण।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वतन/4750 दिनांक 13.10.2017

--::00::--

संदर्भित पत्र से वनोपज के घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय आने वाले ठेकेदारों/संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान हेतु प्रति नीलाम दिवस के लिए रू 150/- (रूपये एक सौ पचास) प्रति व्यक्ति के मान से राशि व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ा कर अब रूपये 180 (रूपये एक सौ अस्सी) किया जाता है। इस राशि का व्यय निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा :-

1. नीलाम में विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या का अधिकतम दो गुना व्यक्तियों की संख्या तक व्यय मान्य होगा ।
2. एक क्रेता के द्वारा एक से अधिक मटेरियल लिस्ट क्रय किये जाने पर जलपान की राशि की गणना हेतु एक क्रेता ही माना जाएगा।
3. नीलाम में विभिन्न प्रजाति की मटेरियल लिस्ट पृथक-पृथक विक्रय की जाने की स्थिति में अधिकतम विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या के आधार पर ही जलपान व्यय मान्य होगा।
4. सामान्यतः नीलाम की कार्यवाही प्रातः 9 बजे से सायं तक चलती है। अतः उक्त राशि में क्रेताओं को यथासंभव एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है।
5. ये दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।
6. उपरोक्त दरें अधिकतम है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसमें मितव्ययता करने के पूर्ण प्रयास किये जावें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नीलामों में जलपान व्यवस्था की जावे ।

(डॉ. एस. पी. रयाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ0 क्रमांक/निर्वतन/4800 भोपाल, दिनांक :27/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल।
2. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जन संपर्क एवं विक्रय) विक्रय डिपो, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 2019 / 5019 भोपाल, दिनांक 17/12/2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– ऑनलाईन भुगतान के प्रकरणों में भुगतान की रसीद आयकर एवं जी.एस.टी संबंधी अभिलेख विलम्ब से जमा करने पर लॉट निरस्त करने बाबत।

––::00::––

विषयांकित संबंध में कुछ व्यापारियों द्वारा दूरभाष पर एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मुख्यालय को शिकायत की जा रही है, कि कई बार नीलाम में वनोपज क्रय करने के उपरांत नियत तिथि को ऑनलाईन भुगतान करने के उपरांत भी यदि भुगतान की रसीद, आयकर तथा जी.एस.टी. संबंधी अभिलेख वनमंडल कार्यालय में जमा करवाने में एक–दो दिन का विलम्ब हो जाता है तो इस विलम्ब के कारण उनका लॉट निरस्त कर दिया जाता है।

स्पष्ट किया जाता है, कि नीलाम की शर्तो के अनुरूप भुगतान की अंतिम नियत तिथि तक यदि क्रेता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, तो संबंधित अभिलेख जमा करने में विलम्ब के कारण लॉट निरस्त करना उचित नहीं है। कृपया भविष्य में क्रेताओं को इस प्रकार की असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। यदि ऐसे लॉट निरस्त किये गये हैं तो उन्हें पुर्नजीवित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

17/12/19

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2019/5020 भोपाल, दिनांक 17/12/2019

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय), म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

9/F

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2019/ 15105 भोपाल,दिनांक 24 .12.2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :– मालिक मकबूजा लकड़ी/लोकवानिकी क्रय के लिये बजट आवंटन के संबंध में।

--::00::--

उपरोक्त विषय के संबंध में विधानसभा अतांरिकत प्रश्न क्रमांक 1142 के उत्तर में पाया गया कि, कुछ वनमंडलों में मालिक मकबूजा/लोकवानिकी के किसानों की लकड़ी का भुगतान होने में एक से दो वर्ष का विलम्ब हुआ है। यह स्थिति अत्यंत आपत्ति जनक होने के कारण विभागीय छवि धूमिल करती है।

प्रदेश के भूमिस्वामी (मालिक मकबूजा) से प्राप्त सागौन आदि काष्ठ का भुगतान करने के लिए; शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के दिनांक से 45 कार्य दिवस में, तथा पृथक लाट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस के भीतर किये जाने की समय सीमा निर्धारित है।

यदि किसान द्वारा शासकीय दर पर लकड़ी बेची जाती है, तो वनोपज डिपो परिवहन होते ही भुगतान के लिए प्रकरण बनाकर मुख्यालय प्रेषित करें, तथा यदि किसान नीलाम का विकल्प चुनता है तो नीलाम में लकड़ी बिकने के पश्चात् प्रकरण भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें। किसी भी स्थिति में भुगतान में निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने पर आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रतिमाह मालिक मकबूजा से प्राप्त काष्ठ जो काष्ठागार में प्राप्त हो गई एवं भूमिस्वामी को जिनका भुगतान शेष है, की जानकारी निम्न प्रपत्र में प्रेषित करें:–

क्रमांक	वन मंडल का नाम	भूमिस्वामी का नाम	शासकीय दर पर काष्ठ का विक्रय का विकल्प देने पर काष्ठ डिपो पहुंचने का दिनांक	पृथक से लाट बनाकर नीलाम द्वारा काष्ठ का विक्रय दिनांक
1	2	3	4	5

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2019/ 15106 भोपाल, दिनांक 24 .12.2019

प्रतिलिपि:–

1. समस्त वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय/उत्पादन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भविष्य में यदि भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं हुआ तो आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / काष्ठ. / 268 / 2019 / 5134 भोपाल, दिनांक : 28 .. 19

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :– उत्पादन कार्यो में संलग्न मजदूरों की प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / उत्पा. / काष्ठ / 2017 / 1845 दिनांक 30.03.2017

–00–

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें लेख किया गया था कि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष का बैंक खाता धारत व्यक्ति 12:00 रू के वार्षिक प्रिमियम अपने जन धन खाते से सीधे जमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकता है, एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष का कोई भी बैंक खाता धारक व्यक्ति रू.330.00 का वार्षिक प्रिमियम अपने जन धन खाते से सीधे जमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकता है।

उपरोक्त बीमा योजनाओं का लाभ उत्पादन कार्यो में संलग्न मजदूरों को दिलाने के उद्देश्य से पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ वनमण्डलों में विभिन्न उत्पादन कार्यो में संलग्न समस्त मजदूरों को उक्त बीमा योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करायें। वार्षिक प्रिमियम की राशि का भुगतान खाता धारक द्वारा अपने खाते से किया जावेगा, जिसमें उन्हें आप तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। उक्त सुरक्षा बीमा सभी उत्पादन कार्यो में लगे श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल सके यह सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराते हुए बीमित मजदूरों की जानकारी प्रस्तुत करें।

(एस.पी.शर्मा)
उपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक / उत्पा. / काष्ठ. / 268 / 2019 / 5135 भोपाल, दिनांक : .. -12-19

प्रतिलिपि :–समस्त वनमंडलाधिकारी, उत्पादन वनमण्डल मध्य प्रदेश की अग्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि अपने वनमण्डल में उत्पादन कार्यो में संलग्न मजदूरों को उपरोक्त बीमा योजनाओं से अवगत कराये हुए शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। वनमण्डल अंतर्गत उपरोक्त बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित मजदूरों की जानकारी इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Parivahan.doc